UPMB040047742020

न्यायालय सिविल जज जू०डि० (एफ०टी०सी०)/महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

पीठासीन अधिकारी- सिद्धिनाथ सिंह सेंगर, उ0प्र0 न्यायिक सेवा कोड-4898

परिवाद संख्या-1179/2021

कम्प्युटर संख्या-2708/2020

मेसर्स किशोरी डवलपर्स बनाम गोपाल कुकरेजा।

मेसर्स किशोरी डेवलपर्स प्रो0/पार्टनर विनोद कुमार पुरवार उम्र-70 वर्ष पुत्र स्व0 किशोरीलाल पुरवार निवासी रामकथा मार्ग नारूपुरा महोबा थाना व जिला महोबा उ0प्र0 मो0 नं0-9415145024 ....**प्रार्थी/परिवादी।**

बनाम

गोपाल कुकरेजा पुत्र श्री गोवर्धनदास कुकरेजा निवासी 6-नवरतनबाग समीप बी0 सी0 सी0 हाउस मनोरमागंज इंदौर जिला इंदौर म0प्र0 मो0 नं0-9826799699 ....**अभियुक्त।**

परिवादी की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता- श्री अवधेश कुमार गुप्ता।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता-श्री योगेंद्र सिंह पटेल।

1. वाद संख्या-	1179/2021
2. सी०एन०आर० संख्या-	UPMB040047742020
3. वाद संस्थित की तारीख-	29.09.2020
4. परिवादी का नाम व पता-	मेसर्स किशोरी डेवलपर्स प्रो0/पार्टनर विनोद कुमार पुरवार उम्र-70 वर्ष पुत्र स्व0 किशोरीलाल पुरवार निवासी रामकथा मार्ग नारूपुरा महोबा थाना व जिला महोबा उ0प्र0
5. अभियुक्त का नाम व पता-	गोपाल कुकरेजा पुत्र श्री गोवर्धनदास कुकरेजा निवासी 6-नवरतनबाग समीप बी0 सी0 सी0 हाउस मनोरमागंज इंदौर जिला इंदौर म0प्र0
6. अपराध अंतर्गत धारा-	138 पराक्रम्य अधिनियम 1881
7. चैक का विवरण-	चैक संख्या-000146 दिनांकित 01.03.2020, मुब०-1,25,00,000/-रू0।
8. अभियुक्त का कथन-	दोष से इंकार।
9. बहस की दिनांक-	10.07.2026
10. निर्णय दिनांक-	05.08.2026
11. आदेश-	दोषमुक्त।

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ0टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

Digitally signed by Sidhinath Singh Sengar
Date: 2026.08.11 15:57:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1- प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-138 पराक्रम्य विलेख अधिनियम परिवादी मेसर्स किशोरी प्रो0/पार्टनर विनोद कुमार पुरवार द्वारा अभियुक्त गोपाल कुकरेजा के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

2- संक्षेप में परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी का कथन है कि परिवादी उक्त पते का मूल निवासी है एवं दलहन व तिलहन आदि का व्यवसाय करता है। परिवादी का उक्त व्यवसाय इंदौर में भी स्थित है, जिसका संचालन उसका पुत्र करता था। अभियुक्त रियल एस्टेट व अन्य व्यवसाय करता है तथा अभियुक्त द्वारा खाली भूखण्डों की खरीद फरोख्त का व्यवसाय भी किया जाता है। व्यवसायिक कारणों से परिवादी और अभियुक्त की जान पहचान हो गयी जिससे एक दूसरे के कारण व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित हो गये और एक दूसरे पर विश्वास करने लगें। अभियुक्त ने मुझ परिवादी को इंदौर में स्थित रिफायनरी में पार्टनर बनाने हेतु प्रस्ताव दिया जिस पर अभियुक्त की साख और उसके व्यवसाय को देखते हुये मुझ परिवादी ने रिफायनरी की फर्म में भागीदार बनना स्वीकार कर लिया किन्तु भागीदारी हेतु अभियुक्त ने मुझ परिवादी से मु०-97,50,000/-रू0 की मांग रखी जिस पर मुझ परिवादी ने अच्छे व्यवसाय को देखते हुए अभियुक्त को उक्त धनराशि मु०-97,50,000/-रू0 प्रदान कर दी। परिवादी द्वारा उक्त रिफायनरी में भागीदारी की लिखा पढ़ी करने हेतु व उसमें अपनी सहभागिता करने हेतु जब भी अभियुक्त से बात चीत की गई तो वह हर बार हीला हवाली करने लगा किन्तु जब परिवादी ने लिखा पढ़ी करने हेतु दबाव बनाया तो अभियुक्त ने कहा कि रिफायनरी के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है और अब अड़चनों के कारण भागीदारी की बात पर अमल लाना संभव नहीं हो पायेगा, जिस पर परिवादी ने अपना रूपया वापस मांगा तो अभियुक्त ने कहा कि अब रूपया तो अन्य व्यवसाय में लग चुका है आप रूपये के बदले में एक जमीन जो कि सर्वे क्रमांक 501/1, 501/3, 501/4 कस्बा इंदौर में स्थित है व जिसका म्यूनिसिपल नं0-76 नवलखा इंदौर है, को विक्रय करने का प्रस्ताव दिया और परिवादी से कुल धनराशि-2,29,99,800/-रू0 प्राप्त कर लिये और एक अनुबंध दिनांक 01.04.2018 को निष्पादित करवा लिया गया। अभियुक्त मुझ परिवादी से उक्त धनराशि प्राप्त करके पुनः किसी न किसी बात का बहाना करता रहा और अनुबन्ध का निशपादन नहीं किया और अनुबंध के निष्पादन में भिन्न-भिन्न अड़चने बताकर टालता रहा। परिवादी द्वारा जब अभियुक्त से बार-बार अनुबंध का निष्पादन करने की बात की गई तथा संभ्रान्त व्यवसायी बुलाकर पंचायत करायी तो अभियुक्त ने पुनः दिनांक 01.10.2019 को नये अनुबंध का निष्पादन करा दिया और अनुबन्ध की शर्तों के तहत अभियुक्त ने परिवादी को पांच किता चैक अपने बैंक कोटेक महिन्द्रा बैंक शाखा इंदौर खाता संख्या-07510120045920 चैक क्रमांक क्रमशः-000145 दिनांक 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग 12500000/-रू0, 000146 दिनांकित 01.03.2020, वास्ते राशि मुबलिग 12500000/-रू0, 000147 दिनांकित 01.03.2020, वास्ते राशि मुबलिग 1,61,30,310/-रू0, 000148

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

दिनांकित 01.03.2020, वास्ते राशि मुब०-35,00,000/-रू0, 000149 दिनांकित 01.03.2020, वास्ते राशि मुबलिग 34,18,240/-रू0, कुल राशि मुब-4,80,48,550/-रू0 एकाउन्ट पेयी किशोरी डेवलोपर्स के नाम की इस आश्वासन के साथ सौपे गये कि यदि अभियुक्त द्वारा किसी कारण वष उपरोक्त अनुबंध का क्रियान्वयन नहीं किया गया तो परिवादी उक्त चैकों को प्रस्तुत कर निर्धारित धनराशि का भुगतान प्राप्त कर सकेगा। अभियुक्त ने जानबूझकर अनुबंध का निश्पादन नहीं किया और बार बार परिवादी द्वारा अभियुक्त से जब अनुबंध का निष्पादन करने का आग्रह किया गया तो अभियुक्त परिवादी से अभद्र व्यवहार करने लगा और बोला कि यदि कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हें परिवार सहित जान से मरवा दूंगा। परिवादी ने कई बार अभियुक्त से आग्रह किया और संभ्रान्त व्यवसायियों ने भी उक्त अनुबंध का निश्पादन करने के लिये अभियुक्त से कहा सुनी की तो अभियुक्त ने कहा कि अब वह उक्त अनुबंध का निष्पादन नहीं करना चाहता है। अतः परिवादी चैकों को उसके बताये गये समय में अपने खाता में लगाकर उक्त रूपये प्राप्त कर ले उसे कोई आपत्ति नहीं है। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा बतायी गई तिथि को चैक क्रमांक-000148 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुब-35,00,000/-रू0 अपने खाता किशोरी डेवलपर्स संख्या-00000039211728114 भारतीय स्टेट बैंक शाखा महोबा के लिए इंदौर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में दिनांक 28.05.2020 को लगाई तो दिनांक 28.05.2020 को अभियुक्त के बैंक द्वारा इस आशय की टिप्पणी के साथ उक्त चैक वापिस कर दी गये कि अभियुक्त के खाता में पर्याप्त धनराशि नहीं है। परिवादी को उक्त अनादरण की सूचना दिनांक 29.05.2020 को प्राप्त हुई। तदोपरांत परिवादी द्वारा 29.05.2020 के बाद फोन से अभियुक्त को चैको के अनादरित होने की जानकारी दी गई तो अभियुक्त कुछ दिन का समय मांगते हुये बोला कि वह जल्दी ही परिवादी के रूपये वापस कर देगा, किन्तु अभियुक्त जानबूझकर परिवादी को गुमराह करता रहा और रूपये वापस नहीं किये तब परिवादी ने दिनांक 27.062020 को रजिस्टर्ड पोस्ट ए0डी0 के माध्यम से अभियुक्त को जरिये अधिवक्ता नोटिस किया। प्रेषित नोटिस प्राप्त होते ही अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त नोटिस का उत्तर दिया जिसमें प्रश्नगत चैकों का जारी किया जाना स्वीकार किया गया किन्तु उपरांत इसके सूचना पत्र के माध्यम से मांगी गयी उपरोक्त अनादरित चैको का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। अभियुक्त एक चालबाज तथा कानून बाज व्यक्ति है और मुझ परिवादी को धोखा देने व उसका रूपया हड़प जाने की नियत से बराबर मुझ परिवादी का आश्वासन देता रहा कि लॉक डाउन के कारण व्यवसाय में रूपया फंसा है तथा वह गम्भीर बीमारी से पीड़ित है, जिस कारण वह रूपये की अदायगी नहीं कर पा रहा है और वह जल्दी ही इंतजाम करके रूपये की अदायगी कर देगा, जिससे परिवादी ने भी लाक डाउन का कारण सही मानते हुये अभियुक्त को पुनः उसके द्वारा बताये गये समय सीमा तक इंतजार किया और लाक डाउन के कारण बंदी होने की बजह से समय सीमा के अन्दर मुकदमा दायर नहीं किया, किन्तु अभियुक्त ने पुनः अपना वादा तोडते हुये परिवादी को उसका अनादरित हुई चैकों की धनराशि वापस नहीं की। अभियुक्त ने जानबूझकर परिवादी

को देय धनराशि की अदायगी से बचने के लिए व धोखा धडी करने के उद्देश्य से मुझ परिवादी को उक्त चैके यह जानते हुये प्रदान की गयी कि उक्त चैकों से परिवादी को उसके रूपये की अदायगी नहीं हो पायेगी। अभियुक्त द्वारा किया गया उक्त कृत्य घोर अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्त द्वारा किया गया उक्त कृत्य धोखा-धड़ी व एन0 आई0 एक्ट की धारा-138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अंतर्गत धारा-138 एन0 आई0 एक्ट के तहत तलब कर दण्डित किया जाना व मुझ परिवादी को अभियुक्त से चैक क्रमांक-000148 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुब०-35,00,000/-रू0, की धनराशि की दोगुनी धनराशि दिलाया जाना न्यायहित में अति आवष्यक है।

बयान अभियुक्त अंतर्गत धारा-251 दं0 प्र0 सं0

3- न्यायालय द्वारा 29.09.2020 को अभियुक्त गोपाल कुकरेजा पुत्र गोवर्धन दास कुकरेजा को धारा-138 एन0 आई0 एक्ट के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्त न्यायालय हाजिर आया। उसने अपनी जमानत करायी। अभियुक्ता न्यायालय हाजिर आयी। उसने अपनी जमानत करायी। अभियुक्ता का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा-251 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 22.01.2025 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान मुल्जिम में कथन किया है कि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में गलत तथ्यों को दर्षाकर झूठा परिवाद दायर किया गया है।

परिवादी साक्ष्य

4- परिवादी द्वारा परिवाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में परिवादी ने पी0 डब्लू-1 के रूप में विनोद पुरवार को परीक्षित कराया है। परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है- एक किता चैक संख्या संख्या-000148 दिनांकित 01.03.2020 मु0-35,00,000/-रू0 मूल प्रति, एक किता रिटर्न मेमो दिनांकित 29.05.2020, एक किता नोटिस की छायाप्रति, एक किता रजिस्टर्ड डाक रसीद की प्रति,एक किता नोटिस का जवाब की प्रति, एक किता स्टेटमेण्ट अकाउण्ट की प्रति, एक किता परिवादी का आधार कार्ड की प्रति, दो किता गवाहों के आधार कार्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

5- विपक्षी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं डी0 डब्लू-1 समीर कुमरेजा पुत्र गोपाल कुकरेजा को परीक्षित कराया गया है। विपक्षी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है-वर्श 2022 हाइपरटेंष (बीपी) की शिकायत, 2002 डायबिटीज की शिकायत हुई, 2003 में हार्ट अटेक आया जिसमें-एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई, वर्ष 2020 मई ब्रेन स्ट्रोक आया- जिसमें लेफ्ट की ओर से लकवा हुआ एवं एक कान से सुनने की क्षमता समाप्त हुई, एक आँख का ऑपरेशन हुआ-रेटिना स्पेसलिस्ट हॉस्पिटल में बिल डिसचार्ज रिपोर्ट संलग्न है, अक्टूबर 2021 में पुनः आँख का ऑपरेशन चेन्नई में हुआ-बिल व डिस्चार्ज संलग्न है, दिनांक 17.07.2023 को हार्ट अटेक आया जो सी एच एल अस्पताल इंदौर में भर्ती किये गये उससे सम्बन्धित डिस्चार्ज रिपोर्ट संलग्न,

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

31.07.2023 हार्ट का ऑपरेशन-4 आर्टरी ब्लॉक हुई थी जिसका एशियन हार्ट मुम्बई में वायपास ऑपरेशन पूर्ण हुआ दाखिल किये गये है।

6- साक्षी पी0 डब्लू-1 विनोद पुरवार ने परिवाद में वर्णिन कथनों का समर्थन किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं महोबा का रहने वाला है। मैं आयल मिल और दाल मिल का व्यापार करता हूॅ। मेरी कई फर्म है जिनमें किशोरी डिवलपर्स फ्रेस ग्रेन आदि है। लगभग तीन से चार फर्म है। मैं फ्रेस ग्रेन फर्म में तेल और दाल कोरोबार करता हूॅ। मैं किशोरी डिवलपर्स फर्म में केवल गोपाल कुकरेजा से लेनदेन किया है। किशोरी डिवलपर्स फर्म से अभियुक्त को पैसा लिया है या दिया है याद नहीं है। किशोरी डिवलपर्स फर्म में मिली चेके की दिनांक याद नहीं है, न ही चैक का नम्बर याद है। यह चैक मैंने महोबा के अपने खाते में इन्दौर एस.बी.आई. ब्रान्च में डाली थी। एस.बी. आई. के किस ब्रान्च में डाली है शाखा का नाम याद नही है। जो मैंने अभियुक्त को नोटिस भेजा है उसमें सब सही लिखा है। वह मेरी जानकारी में है। मैंने अभियुक्त को पहले इंदौर से भेजा था फिर वहां से भेजा था याद नहीं है। किस तारीख को नोटिस भेजा था याद नहीं है। जो नोटिस मैंने इंदौर के अधिवक्ता द्वारा भेजा उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह नोटिस मैंने डाकखाना इंदौर से अभियुक्त को भेजा है। इस नोटिस की डाक खाने की ट्रेकिंग की रसीद मैंने पत्रावली में दाखिल किया है या नही याद नही है। इस नोटिस में पैतीस लाख रूपये दिखाये है।

प्रश्न- नोटिस दिनांक 26.06.2020 में दर्शाये गये रूपये मुब०-97,50,000/रू0 (सन्तानवे लाख पचास हजार रूपये) की माँग की गयी थी या नहीं?

उत्तर- मुझे याद नही है। वकील ने मांग की क्या मांग की है याद नहीं है।

प्रश्न- रूपये 35,00,000/-रू0 (पैंतीस लॉख) चैक में दर्शाये गये है या नोटिस में 97,50,000/-रू0- (सन्तानवे लाँख पचास हजार रूपये) दर्शाये गये है कौन सी बात सही है?

उत्तर - इस मामले में 35,00,000/रू0 -लाख की चैक थी नोटिस में उसी की मांग की गयी है।

प्रश्न- नोटिस दिनांक 26.06.2020 को इस मुकदमें के परिपेक्ष्य में जो विपक्षी को नोटिस भेजा है उसमें रूपये 97,50,000/-रू0-(सन्तानवे लाख पचास हजार रूपये) दर्शाये सही है या गलत है?

उत्तर - मेरे वकील को मालूम होगा।

प्रश्न- इस नोटिस की जानकारी आपको पूर्णता थी यह आपने पूर्व में दिये बयानों में स्वीकार किया है। अब आप यह कह रहे है कि मुझे मालूम नही है वकील को मालूम होगा। यह बात सही है या गलत?

उत्तर- दस वर्ष हो गये है मेरी 70 साल की हो रही है इसलिये पूर्णतया याद नहीं है।

गोपाल कुकरेजा ने मुझे सभी चेकें मुझे एक साथ दी थी या नहीं याद नहीं है। किस तारीख की सारी चेके थी यह भी याद नही है। जिरह समयाभाव के कारण जारी है।

पहला नोटिस इंदौर से भेजा था। दूसरा कहां से भेजा था याद नहीं है। दायरे में जो रकम खुली है सही ही होगी। जो चैक लगाई है उसकी मुझे चैक संख्या याद नहीं है। मैंने अपने

स्टेट बैंक में लगाई है चैक किस बैंक की है याद नहीं है। किस तारीख को चैक लगाई याद नहीं है। रिटर्न मेमो कब मिला वह भी याद नहीं है। किशोरी डिवलपर्स फर्म अभी चालू है या बंद याद नही है। मैंने किशोरी डिवलपर्स का आई.टी.आर. चैक लेते समय व लगाते समय भरा था या नही मेरे सी.ए. को पता होगा। चैक मैंने लगाई या मेरे कार्यकर्ता ने लगाई याद नहीं है। मेरा दायरा जो वकील साहब ने लिखा है वह पूरा सही है। मैंने इस फर्म में कब तक आई०टी०आर० भरा है मेरा सी.ए. को पता है। फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी जानकारी मेरे वकील को पता है। उक्त फर्म महोबा से संचालित है। इसका हेड आफिस महोबा में चरखारी बाईपास रोड नारूपुरा में है। यह फर्म कितने साल से चल रही है याद नहीं है। इसका आफिस नारूपुरा में कब से बना याद नहीं है। उक्त फर्म के पार्टनर में व मेरी पत्नी है। इसके अलावा इस फर्म का कौन पार्टनर है याद नहीं है। फ्रेस ग्रेन फर्म मेरा बेटा ऋषि चलाता है। चैक में किशोरी डिवलपर्स सही लिखा होगा। चैक में किशोरी डिवलपर्स जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मेरी याद गोपाल जी ने खुद लिखा है। रिटर्न मेमो मैं गया था या मेरा कार्यकर्ता गया था याद नहीं है। रिटर्न मेमो कहां से प्राप्त हुआ था याद नहीं है। मेरे व गोपाल कुकरेजा के बीच में अनुबन्ध हुआ था। अनुबन्ध किस तारीख को हुआ था याद नहीं था। यह अनुबंध चैक के बाबत हुआ था इस शर्त पर हुआ था अनुबंध पूर्ण न होने पर बैंक से चैक लगाकर पेमन्ट लेना था। गोपाल कुकरेजा की मशीन जो पार्टनरशिप पर वो मेरे पास पड़ी है। समयाभाव के कारण जिरह जारी है।

मैंने अभियुक्त गोपाल कुकरेजा के अलावा किसी अन्य के खिलाफ एन.आई. एक्ट का मुकदमा दाखिल नहीं किया है। मुझे याद नहीं है कि मैंने और अभियुक्तों के खिलाफ चैक बाउंस का मुकदमा दाखिल किया है या नही। मै जेल एक बार सामाजिक कार्य में जेल गया हूँ। जो चेके मुझे अभियुक्त गोपाल कुकरेजा से प्राप्त हुयी है वह चेकें एक ही दिनांक की है या नहीं मुझे याद नहीं है। उक्त पत्रावली की सभी चेके गोपाल कुकरेजा से मैंने एक ही दिन में प्राप्त करी थी। जो चैक में केवल किशोरी डेवलपर्स लिखा है। चैक देखकर बताया कि उसमें किशोरी डिवलपर्स लिखा है प्रोपराइटर या पार्टनर का नाम नहीं लिखा है। मैंने उक्त पत्रावली में 200 सी.आर.पी.सी. के बयान दाखिल किया है या नही मुझे पता नहीं है मेरे वकील साहब को पता होगा। उक्त पत्रावली में मैंने बयान अन्तर्गत धारा 202 सी.आर.पी.सी. के बयान दाखिल किये है या नहीं मुझे पता नहीं है मेरे वकील को पता होगा। बयान अ. धारा 202 सी.आर.पी.सी. में जो शपथपत्र दाखिल है वह मैंने नहीं किये मेरे वकील ने किये होगे फिर कहा कि मैंने किये है। बयान अतंर्गत धारा 202 सी.आर.पी.सी. जीतेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पचपहरा का शपथपत्र दाखिल किया है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी बयान अंतर्गत धारा 202 सी.आर.पी.सी. में साक्षी का आधार कार्ड व फोटो गवाह दे गया होगा मुझे याद नही है वकील को जानकारी होगी। जिस पत्रावली में में गवाही दे रहा हूँ वह मुकदमा मैंने समय से न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मैं पहला नोटिस अभियुक्त को इंदौर से भेजा था दूसरा नोटिस अभियुक्त भेजा है या नहीं याद नहीं है। नोटिस दिखाने पर बताया कि मेरे

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

द्वारा भेजे गये नोटिस में मेरे हस्ताक्षर नहीं है मेरे वकील के हस्ताक्षर है। बैंक स्टेटमेंट जो पत्रावली में दाखिल किया है। वह चैक डिसऑनर का है।

प्रश्न- आपके खिलाफ सरकार बनाम कोई मुकदमा चला है या नहीं?

उत्तर -सामाजिक सेवा में चला है लेकिन बरी हो गये थे।

मेरे खिलाफ केवल मुकदमा सरकार के खिलाफ चला है वह भी छूट गया है सामाजिक सेवा में। मैंने किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त गोपाल कुकरेजा के खिलाफ अन्य मुकदमा दाखिल नहीं किया है। मैंने सन 2018, 2019 व 2020 में चैक में कोई आई.टी.आर. भरा या नहीं मुझे याद नहीं है मेरे वकील साहब को पता होगा। उक्त फर्म में स्टाफ व वकील चैक से सम्बन्धित आई०टी०आर० भरने में कार्य करते है। उक्त फर्म कहां रजिस्टर्ड है मुझे जानकारी नहीं है मेरे वकील को जानकारी है फिर कहा कि इनकम टैक्स वकील को जानकारी रहती है। यह फर्म महोबा से संचालित होती है। इस फर्म का आफिस इस समय मुहाल नयापुरा चरखारी बाईपास रोड नवीन गल्ला मंडी के पास महोबा में है। यह आफिस 08 से 10 साल से इसी जगह पर संचालित हो रहा है। इस समय यह फर्म बंद पड़ी है। यह फर्म कब से बंद है पड़ी है याद नहीं है। यह भी याद नहीं कि तीन साल, चार साल व पांच साल से बंद है या नहीं। सन 2020 में यह फर्म चल रही थी या बंद थी मुझे याद नहीं है। सन 2020 में मेरी फर्म संचालित होने पर ही मैंने चैक लगायी थी। सन 2020 में इस संचालित फर्म का आई.टी.आर. मेरे वकील साहब ने भरा होगा मुझे मालूम नहीं है। इस फर्म का प्रोपराइटर मैं व मेरी पत्नी दोनों है। मेरे दो पुत्र है। इस समय दोनों पुत्र महोबा व इन्दौर दोनों जगह रहते है। मेरी पुत्री की जो फर्म है उसका नाम फ्रेम है उसका नाम फ्रेम ग्रेन एण्ड स्पाइसिस है। यह फर्म महोबा व इन्दौर से संचालित होती है। मैंने उस चैक किशोरी महोबा के नाम से खाते में लगाई है। चैक किस बैंक की थी मुझे याद नहीं है। उक्त चैक मैंने इन्दौर से महोबा के खाते में लगाई थी। उक्त चैक में केवल किशोरी डवलपर्स लिखा है, उसमें महोबा या इन्दौर नहीं लिखा है। मुझे चैक लगाने की तारीख याद नहीं है। चैक मैंने लगाई थी या मेरे स्टाफ ने लगाई थी याद नहीं है। उक्त चैक गोपाल कुकरेजा की भरी हुयी है। मुझे रिटर्न मेमो कब प्राप्त किया याद नहीं है। रिटर्न मेमों मैंने प्राप्त किया या नहीं याद नहीं है। रिटर्न मेमो इन्दौर का है। रिटने मेमों इन्दौर से कौन लेने गया मुझे याद नहीं है। उक्त चैक एक करोड़ पच्चीस लाख की है। मैंने अभियुक्त गोपाल कुकरेजा को नोटिस भेजा था। चैक से सम्बन्धित मामलों में मेरा वकील नोटिस भेजता है। नोटिस में मेरे दस्तखत है या नही याद नही है। नोटिस इस बात का है कि अभियुक्त ने मेरा पेमेन्ट क्यों नहीं किया। नोटिस अभियुक्त को प्रात हुआ या नही मेरा वकील व स्टाफ को जानकारी है। अभियुक्त को किस अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस गया था मुझे याद नही है। मैंने न्यायालय में किस दिनांक को मुकदमा दाखिल किया यह भी याद नहीं है। मेरे व गोपाल कुकरेजा के बीच अनुबन्ध हुआ था। अनुबन्ध किस तारीख को हुआ था याद नहीं है। बाबत हुआ था याद नहीं है बाबत हुआ था कि यदि जमीन की रजिस्ट्री व कब्जा न करा पाये तो चैक का पेमेन्ट करेगें। मेरे व मेरे पुत्र के नाम रजिस्ट्री नही हुई।

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

प्रश्न-अनुबन्ध दिनांकित 01.10.2019 को निष्पादित हुआ उसमें जमीन का बैनामा का कोई जिक्र है या नहीं?

उत्तरः- उक्त अनुबन्ध देखकर बताया कि न्यायालय द्वारा 9880 फर्म की डिक्री पारित की गयी है अनुबन्ध से 2480 ज्यादा है। विक्रेता द्वारा 7420 वर्गफीट की शेड बनवाकर देने के पश्चात क्रेता में किशोरी डवलपर्स कोर्ट से रजिस्ट्री करवा लेवे। अनुबंध इस बात का हुआ था कि जमीन पूरी कब्जा कराकर देंगे नहीं तो आपका पेमेन्ट वापस कर देगें। यह जो अनुबंध हुआ है यह विक्रय अनुबंध लेख है जिसमें मेरे व विपक्षी गोपाल कुकरेजा व उनके पुत्र के हस्ताक्षर है। विपक्षी ने मुझे कोई जमीन नहीं दी और न ही कोई पैसा दिया और न ही कोई मशीनरी दी है। मैंने विपक्षी से सोयाबीन रिफानरी प्लांट की बात हुयी थी वापस नहीं लिया है। एग्रीमेंट में छियालीस लाख साठ हजार रूपये दर्शाया गया है जो मुझे प्राप्त नहीं है। प्रथम पक्ष ने मुझे कुल लगभग पांच करोड़ की चेकें दी थी। चेकें महिन्द्रा कोटक बैंक की होगी मुझे याद नहीं है। सन 2019 की चेके लगायी है या नहीं मुझे याद नहीं है। जो जमीन एग्रीमेंट में दर्शायी गयी है उसका मुकदमा मेरे बेटे द्वारा विपक्षी पर किया गया था। उक्त जमीन इंदौर की थी। मेरे बेटे ने विपक्षीगण पर कब मुकदमा दाखिल किया था याद नहीं है। उक्त मुकदमा मेरे बेटे के पक्ष में डिक्री हुआ था लेकिन कब्जा नहीं मिला था। इजरा क्या होता है मुझे नहीं पता। उक्त जमीन कितनी थी याद नहीं है एग्रीमेंट में लिखा होगा।

प्रश्न- क्या चेकों के एवज में उक्त जमीन अधिक मूल्य की थी जो आपके बेटे के नाम डिक्री हो गयी है?

उत्तर- कब्जा न मिलने के कारण उस जमीन की कीमत कम मूल्य की थी।

प्रश्न-क्या आपने व आपके बेटे ने उक्त जमीन के कब्जा के लिये न्यायालय में मुकदमा दर्ज करवाया?

उत्तर- मुकदमा किया था लेकिन कब्जा न दिला पाने के कारण रजिस्ट्री नहीं कराई। जब मुकदमा जमीन सम्बन्धी इंदौर में न्यायालय सोहलवें अपर जिला न्यायाधीश इंदौर में दाखिल किया था या नही याद नहीं है। किशोरी डवलपर्स एस.एल.पी में किसपर फर्म के प्रोपराइटर है मैं नहीं बता सकता। किशोरी डवलपर्स एल.एस.पी. कोई फर्म है या नहीं याद नहीं है। किशोरी डवलपर्स एल.एल.पी. का क्या काम है मुझे याद नहीं है। फर्मे बनती है और बंद भी हो जाती है। जब फर्मे बनती है तो उनमें लेनदेन भी होता है।

प्रश्न इन फर्मों में आप करोड़ो रूपयों का लेन देन करते हैं और टैक्स चोरी कर देते है?

उत्तर- कोई चोरी नहीं करते फर्म का काम सी.ए. देखता है।

प्रश्न- क्या आप इस फर्म किशोरी डिवलपर्स एल.एल.पी. का पूरा इनकम टैक्स भरा है?

उत्तर- मेरे सी.ए. को मालूम होगा।

यह फर्म किशोरी डवलपर्स एल.एल.पी. कब बनी व कब बंद हुयी मुझे पता किशोरी डवलपर्स फर्म में मेरा बेटा मालिक नहीं है। चैक लेते समय जमीन सम्बन्धी जो इंदौर न्यायालय में दाखिल किया उस समय मेरा बेटा ऋषि किशोरी डवलपर्स का मालिक नहीं

था। मेरे व गोपाल कुकरेजा के अच्छे सम्बन्ध रहे। सन्बन्ध व्यवसायिक भी रहे। गोपाल कुकरेजा की रिफायनरी में मैं पार्टनर हुआ था। मेरे बटे ऋशि व गोपाल कुकरेजा के बेटे समीर कुकरेजा के नाम से एक फैक्ट्री मेसर्स एमराल्ड आयल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर कम्पनी का पंजीयन कराया गया था या नहीं याद नहीं है। मेरे बेटे गोपाल कुकरेजा के बेटे ने मिलकर मुंडल दोस्तदार में जमीन खरीदी थी और महोबा इंदौर में रिफायनरी के व्यवसाय करने हेतु आपस में तय हुआ था। गोपाल कुकरेजा की रिफायनरी महोबा में शिफ्ट कर ली गयी थी। जो रिफायनरी व तेल मील का व्यापार गोपाल कुकरेजा मुझ परिवाद के मध्य तय हुआ था परन्तु मेरा उसमें बहुत बड़ी पेमेन्ट लगा है उन्होंने पेमेन्ट नहीं दिया है जिस कारण व्यापार रुका हुआ है। मुझे इस मुकदमें से सम्बन्धित चैक एमाउन्ट लगभग सवा करोड़ है।

प्रश्न- आपने चैक इन्दौर बॉक्स में डाली या महोबा बैंक के बैंक बाक्स में डाली?

उत्तर- मैंने इन्दौर बाक्स में चैक डाली लास्ट समय होने के कारण मेरा केवल एक खाता इस फर्म का महोबा एस.बी.आई. में है उस खाते में लगाई थी।

रिटर्न मेमो मुझे कहां से मिला था याद नहीं है। पत्रावली में दाखिल रिटर्न मेमो देखकर बताया कि एस.बी.आई. मेन ब्रान्च जी.पी.ओ. इन्दौर का है। जो रिटर्न मेमो में दस्तखत है वह एस.बी.आई. के ब्रान्च मैनेजर के है। चैक में किशोरी डिवलपर्स भरा एमाउण्ट विपक्षी द्वारा भरा गया है। चैक में डेट व दिनांक में मेरे हिसाब से कोई अन्तर नहीं है। ये चेके मुझे एग्रीमेंट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री एवं कब्जा की गारंटी के एवज में दी गयी थी न देने पर चैक का पेमेन्ट लेना था। चैक के एवज में गोपाल कुकरेजा के बेटे द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा विनोद पुरवार के बेटे ऋषि पुरवार को नवलखा में जमीन सोहलवे अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर द्वारा डिक्री करा दी गयी है और डिक्री के बाद ही विपक्षी द्वारा चैक दी गयी है। डिक्री के पश्चात न इन्होंने रजिस्ट्री करवायी न ही कब्जा दिया। मैं इन चेकों के पहले गोपाल कुकरेजा की दस चेकें जो लगभग तीन करोड़ छयासी लाख बीस हजार दस रूपये की थी जो मुझे दी थी। सन् 2020 में गोपाल कुकरेजा को ब्रेन स्ट्रोक आया था या नहीं था मुझे जानकारी नहीं है। मेरे बेटे ऋषि पुरवार को नवलखा में जमीन सोहलवें अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर द्वारा डिक्री हुआ या नहीं, जानकारी नहीं फिर कहा कि याद नहीं है। उक्त डिक्री के कागजात परिवादी के वकील को कॉपी प्राप्त करायी है। यह कहानी गलत है कि मेरी दोहरी मंशा ही जिसमें चैक भुगतान व रजिस्ट्री कराना दोनों शामिल है। जो रिफायनरी की मशीन आज तक मेरे पास है। वो मशीन लाखों की कीमत की नहीं है, कबाड़ है। जो चैक दी गयी है इसके पूर्व में भी विपक्षी द्वारा चेके दी गयी है यह एग्रीमेंट के तौर पर दी गयी थी यह एग्रीमेंट रिन्यू होता रहता है। यह चेके इस कंडीशन में दी थी कि यदि कब्जा व रिजस्ट्री न करा पाये तो हम पेमेंट करेगे। जो चेके पहले दी गयी थी उनको हटा कर मय ब्याज के ज्यादा रकम की के सहमति से दी थी। यहा कहना सही है कि यह जमीन की डिक्री मेरे बेटे के नाम करा ली है परन्तु कब्जा नही मिला है। यह कहना गलत है कि गोपाल कुकरेजा द्वारा जो चेके दी गयी थी वह एग्रीमेन्ट के तौर पर दी गयी थी व एग्रीमेंट रिन्यू होता था। यह भी

कहना गलत है कि वह चैक बैंक में लगाने के लिये नहीं दी गयी थी यह कहना कि मुझे गोपाल कुकरेजा ने कोई भी चैक न दी हो। यह कहना गलत है कि चैक में एमाउन्ट दिनांक हस्ताक्षर मेरे किसी कर्मचारी द्वारा बनाये गये हो। यह कहना गलत है कि यह फर्म का मेरा व मेरी पत्नी के अलावा अन्य कोई पार्टनर भी हो। यह कहना गलत है कि मै अभियुक्त की जमीन हड़पना चाहता हूॅ व पैसा भी लेना चाहता हूॅ । यह कहना गलत है गोपाल कुकरेजा ने खुद से भरी हुई चैक मुझे न दी हो।

7- साक्षी डी0 डब्लू-1 समीर कुकरेजा ने मुख्य परीक्षा का समर्थन किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि गोपाल कुकरेजा मेरे पिता है और वर्तमान में मेरे साथ ही दिये गये पते पर निवास करते है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे सम्पूर्ण जानकारी है। पत्रावली में संलग्न हलिफया बयान देखकर बताया कि इस पर मेरे हस्ताक्षर है। मैं इस पर लिखे सभी तथ्य मेरी जानकारी में है। मैं नही बता सकता कि मैंने उक्त शपथपत्र किस चैक संख्या व कितनी धनराशि के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र न्यायालय में दाखिल किया था यह बात मैं पत्रावली देखकर ही बता सकता है। आज तक मेरे पिता जी ने कोई भी जमीन का रजिस्टर्ड बैनामा विनोद पुरवार के नाम नहीं किया है। मैं अपने पिता जी के हस्ताक्षर पहचानता हूँ। मेरे पिता गोपाल कुकरेजा का खाता किन-किन बैंकों में है यह बात में भली भांति जानता हूँ। मेरे पिता जी का एक खाता कोटक महिन्द्रा बैंक में था वर्तमान में बंद करा दिया है। गवाह ने पत्रावली में संलग्न मूल चैक संख्या 000148 मुबलिग 3500000/-रू0-(पैतीस लाख रूपये) को देखकर कहा कि यह मेरे पिता जी के बैंक की है और इसमें मेरे पिता जी के हस्ताक्षर है। मेरे पिता जी के नाम आज दिनांक में इंदौर में कोई जमीन नही है। आज पिता जी के नाम कोई मकान नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी की सारी जमीन हम दोनों भाइयों समीर कुकरेजा व मोहित कुकरेजा ने अपने नाम ट्रान्सफर करा ली हो। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी की जमीन/प्रापर्टी की बिक्री का पैसा में अपने खाते में आर.टी.जी.एस. चैक के माध्यम से प्राप्त कर लेता था। मेरे पिता जी का एक विवाद सेविन स्टार प्रापर्टी प्राइवेट लि. के साथ भी मुम्बई न्यायालय में चला था। उक्त केस में मेरे पिता जी व कम्पनी का समझौता नहीं हुआ था। मेरे पिता जी ने दौरान उक्त मुकदमा में, सेविन स्टार प्रापर्टी प्राइवेट लि. को अत्यधिक कीमती भूमि का विक्रय किया था। मैं अपने पिता जी का बैंक खाता संख्या नही बता सकता। मुझे जानकारी है कि परिवाद सं०-1180/2021 व 1178/2021 धारा-138 एन.आई. एक्ट में मा. सिविल जज जू.डि./एफ.टी.सी. महिलाओं के विरूद्ध अपराध में न्यायालय द्वारा मेरे पिता को दोषसिद्ध करते हुये आदेश पारित कर दिया है। खाता संख्या 51107155592, 30699787189 एस.बी.आई. इंदौर व खाता संख्या 657001569030 आई.सी.आई.सी. आई इंदौर शाखा की खाता संख्या के सम्बन्ध में मैं अभी नहीं बता सकता कि यह मेरे है मै अपनी पासबुक देखकर बता पाऊंगा। मैं यह भी नहीं बता सकता कि मेरे इस खातों में मेरे पिता जी की प्रापटी की बिक्री का पैसा आया हो। जिस मकान में मैं और मेरा छोटा भाई अपने पिता के साथ रह रहे है वह मेरे व मेरे छोटे भाई मोहित कुकरेजा के नाम है। यह

मकान मैंने सन 2018 में खरीदा था। मेरा तेल का बिजनेस है। मेरी वार्षिक आमदनी रू 15 से 20 लाख होगी। मेरे पिता जी के नाम आज दिनांक को इंदौर में खसरा क्रमांक 1/1/3/3 कुल रकबा 01.620 हे. भूमि नहीं है। फेहरिस्त सूची का. सं. 35 क 1 लगायत 35 क/3 मेरे द्वारा दाखिल की गयी है उसका मैंने भली-भँति अध्ययन कर लिया है जो सहमति पत्र है इसमें किसी पक्षकार की फोटो नहीं लगी है और न ही रजिस्टर्ड है। मैंने कागज सं. 36 क/1 लगायत 36 क/13 नोटरी अधिवक्ता श्री मधुसूदन दास महोबा कचहरी से प्रमाणित कराई थी। फेहरिस्त सूची का कागज सं. कागज संख्या-36 क/1 लगायत 36 क/13 अभियुक्त व परिवादी के मध्य का मेमोरन्डम नहीं है। कागज संख्या-37 क/1 लगायत 37 क/10 विक्रय पत्र जिसमें विक्रेता और क्रेता परिवादी और अभियुक्त नही है। कागज संख्या-38 क/1 लगायत 38/9 विक्रय पत्र परिवादी और अभियुक्त के मध्य का नहीं है। कागज संख्या-39/1 लगायत 39/8 पावर ऑफ अटार्नी अभियुक्त और परिवादी के मध्य का नहीं है। कागज संख्या-40 क/1 लगायत 40 क/6 अनुबंध पत्र रजिस्टर्ड नहीं है और यह किसी नोटरी अधिवक्ता से प्रमाणित भी नहीं है एवं अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य तहरीर नहीं किया गया है। कागज संख्या-41 क/1 लगायत 41 क/04 विक्रय अनुबन्ध लेख पंजीकृत नही तथा परिवादी व अभियुक्त के मध्य का नहीं है। कागज संख्या-42 क/1 लगायत 42/18 परिवादी व अभियुक्त के मध्य का नहीं है, किन्तु उनकी कम्पनी किशोरी डवलपर्स एल.एल.पी. वादी पक्षकार है तथा प्रतिवादीगण की ओर मै स्वयं आममुख्तार की हैसियत से हूँ। कागज संख्या-43 क/ 3 लगायत 43/5 गोपालदास कुकरेजा की चेकों की कैन्सिल्ड छायाप्रति है जिस पर कोई तिथि भी अंकित नहीं है। मैने इन दस्तावेजों को भी नोटरी अधिवक्ता से प्रमाणित करा लिया है। कागज संख्या-43 क/1 लगायत 43 क/2 मेरे पिता जी के हस्तलेख में लिखा गया हिसाब है जो प्रमाणित नहीं है। कागज सख्या-43 क/2 मेंमेरे पिता जी गोपाल कुकरेजा व परिवादी विनोद पुरवार के हस्ताक्षर नहीं है। कागज संख्या-43 क/1 में अभियुक्त व परिवादी दोनों के हस्ताक्षर है उसी का भाग 43 क/2 में मेरे पिता जी गोपाल कुकरेजा व परिवादी विनोद पुरवार के हस्ताक्षर नहीं है। कागज संख्या-43 क/1 में अभियुक्त व परिवादी दोनों के हस्ताक्षर है उसी का भाग 43/2 है। यह हिसाब दिनांक 26.09.2013 (विक्रय अनुबंध लेख) रजिस्टर्ड प्रपत्र नहीं और न ही यह मैने नोटरी अभियुक्त महोदय से प्रमाणित कराया है। कागज सं०-46 क/6 मेरे पिता जी गोपाल कुकरेजा को डाक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा सजेस्ट किया गया बेड रेस्ट का प्रमाण पत्र है जिस पर कोई निर्गत तिथि अंकित नहीं है। एकाउन्ट नम्बर 657001569030 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक मेरे पिता जी का है या नही मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे पिता जी ने आज तक कोई भी मुकदमा परिवादी विनोद पुरवार के विरूद्ध नहीं किया। मेरे द्वारा पत्रावली में दाखिल कागज सं. 46 क/1 लगायत 46 क/11 मेरे पिता जी की मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति है जो प्रमाणित नहीं है। मेरे पिता जी गोपाल कुकरेजा की अंतिम मेडिकल रिपोर्ट दिनांक 19.03.2022 तक की दाखिल है।

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

यह कहना गलत है कि कागज सं. 43 क/1 लगायत 43 क/2 में मेरे पिता ने कपटपूर्ण लिखा-पढ़ी तैयार की हो व उसमें परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये हो। उक्त कागज सं. कागज सं. 43 क/1 लगायत 43 क /2 पर किसी भी साक्षी/गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मैंने अपना व्यापार सन 2007-08 से करना शुरू कर दिया था। हम चार भाई बहन है। मुझे इस बात की जानकारी है कि परिवादी विनोद पुरवार ने मेरे पिता जी को उनके खाते में जरिये चैक रूपये दिये हो तो मुझे जानकारी नही है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि परिवादी को अभियुक्त को कितने रूपये दिये थे। पिता जी की बीमारी के बाद पिता जी का व्यापार बंद है। मैं और मेरा भाई अपना अपना व्यापार करते है। पिता जी के लेन देन से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे जानकारी है कि मेरे पिता जी गोपाल कुकरेजा ने परिवादी को पांच किता चेकें अनुबंध के अनुसार दी थी। उक्त चेके लगभग चार करोड़ कुछ लाँख की धरोहर स्वरूप बतौर गारंटी दी थी। मुझे जानकारी नही है कि उक्त चेकें किस तारीख को दी थी अनुबंध को देखकर बता सकता हूँ। मुझे आज याद नहीं है कि मेरे पिता जी ने विनोद पुरवार को पांच किता चेकें मेरे सामने दी हो। जिस मुकदमें मैं गवाही दे रहा है वह पैतीस लाँख रूपये की चैक का मुकदमा है। मेरे पिता जी का स्वास्थ ठीक नहीं रहता इसलिये वह अपनी जरूरत पर भी कहीं आ जा नहीं सकते। यह बात सही है कि मेरे पिता गोपाल कुकरेजा दिनांक 01.06.2026 महोबा न्यायालय आये थे और मुकदमा न०-1180/2021 व 1178/2021 धारा 138 एन.आई. एक्ट में हुये निर्णय/ आदेश के विरूद्ध सत्र न्यायालय महोबा में अपील करने आये थे। मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरे पिता जी गोपाल कुकरेजा ने दिनांक 03.03.2023 को इंदौर स्थित प्रापर्टी सोलह करोड छयासठ लाख पाठ हजार रूपये में सेवन स्टार प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड को बेची थी।

यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी जानबूझकर परिवादी विनोद पुरवार का रूपया न देने की गरज से बीमारी का झूठा बहाना करके न्यायालय न आते हो। यह कहना गलत है कि मैं पिता जी को बचाने के उद्देश्य से न्यायालय में झूठा शपथपत्र दाखिल किया हो व न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना भी गलत है कि मेरे पिता जी ने मुझे व मेरे भाई मोहित कुकरेजा को जमीन व जायदाद बेचकर मेरे व मेरे भाई मोहित के खाता में करोड़ों रूपये की धनरासि ट्रान्सफर कर दी हो। मेरे पिता जी के द्वारा सेवन स्टार प्रापर्टी प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई कीमती भूमि के लेन देन को लेकर मुम्बई न्यायालय में मुकदमा मेरे पिता द्वारा दाखिल किया गया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे पिता ने यह मुकदमा किस वर्ष दाखिल किया था। यह कहना गलत है कि मेरे पिता गोपाल कुकरेजा दिनांक 01.02.2025 को मुम्बई गये हो और न्यायालय में अपना शपथपत्र दाखिल किया हो। यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी अन्य कई लोगों का रूपये लिये हो जिसके विवाद विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हो। मेरे पिता जी तेल का रिफाइनरी का व्यापार करते थे जबकि मैं तेल व ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा भाई फूड सप्लीमेंट का काम करता है। यह कहना गलत है कि मेरे पिता द्वारा सेवन स्टार प्रापर्टी प्राइवेट लिमटेड को विक्रय की गयी भूमि पहले से ही किसी अन्य को एकरारव्यय कर दी हो जिससे मेरे पिता जी सेवन स्टार प्रापर्टी लिमिटेड के

साथ विवाद हो गया हो। यह कहना गलत है कि में अपने पिता जी को बचाने के लिये में आज न्यायालय में झूठी दे रहा हूॅ।

दस्तावेजी साक्ष्य

परिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य-

क्र०सं०	दस्तावेज	दिनांकित	कागज संख्या
1.	एक किता मूल चैक संख्या-000148,	29.09.2020	9 क 1
2.	एक किता रिटर्न मेमो,	29.05.2020	9 क 2
3.	एक किता नोटिस की छायाप्रति,	20.06.2020	10 क 1-2
4.	एक किता रजिस्टर्ड डाक रसीद,	29.09.2020	11 क
5.	एक किता नोटिस का जवाब की प्रति,	09.07.2020	12 क 1 लगायत 12 क 7
6.	एक किता स्टेटमेण्ट अकाउण्ट की प्रति,		12 क 8
7.	एक किता परिवादी का आधार कार्ड छायाप्रति,	29.09.2020	13 क 1
8.	दो किता गवाहों के आधार कार्ड की छायाप्रति,	29.09.2020	13 क 2 व 13 क 3

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य-

क्र० सं०	दस्तावेज	दिनांकित	कागज संख्या
1.	परिवादी के पुत्र ऋषि पुरवार एवं आरोपी के पुत्र समीर कुकरेजा के मध्य व्यवसाय हेतु निष्पादित आपसी सहमति लेख।	06.06.2012	35 क 1 लगायत 35 क 3
2.	ऋषि पुरवार एवं समीर कुकरेजा द्वारा व्यवसाय हेतु M/S EMROLD OIL PVT. LTD. के नाम से निर्मित कंपनी की स्थापना का पंजीयन क्र. U15141MP2012PTC028857 वर्ष 2012-13	18.07.2012	36 क 1 लगायत 36 क 13
3.	ग्राम मुंडला दोस्तदार तहसील भिचोली हपसी जिला इंदौर के खसरा क्रमांक	14.06.2012	38 क 1 लगायत 38 क 9

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

	174/4 पैकी रकबा 1.00 हेक्टेयर में से 0.500 हेक्टेयर का ऋषि पुरवार के नाम का विक्रय पत्र-पुस्तक क्र. A-1 ग्रंथ क्र.10 पर पंजीयन क्र. 180 (1/5) से जमीन खरीदी गई थी।		
4.	ग्राम मुंडला दोस्तदार तहसील भिचोली हपसी जिला इंदौर के खसरा क्रमांक 174/4 पैकी रकबा 1.00 हेक्टेयर में से 0.500 हेक्टेयर समीर कुकरेजा के नाम का विक्रय पत्र-पुस्तक क्र. A-1 ग्रंथ क्र.10 पर पंजीयन क्र. 181 (1/5) से जमीन खरीदी गई थी।	14.06.2012	37 क 1 लगायत 37 क 10
5.	विक्रय पत्र पुस्तक क्र. ए-1 ग्रंथ क्र.10 पर पंजीयन क्र.180 (1/5) द्वारा क्रय की गई भूमि का ऋषि पुरवार द्वारा समीर कुकरेजा के नाम से किया गया (POWER) मुख्त्यारनामा क्र. MP179092019A4548853	30.07.2019	39 क 1 लगायत 39 क 8
6.	कस्बा इंदौर तहसील जुनी इंदौर जिला इंदौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 501/1, 501/3 एवं 502/4 रकबा 1.630 हेक्टेयर जो 76 नवलखा, इंदौर में से 9888 वर्गफिट का ऋषि पुरवार एवं समीर कुकरेजा के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र ।	21.08.2013	40 क 1 लगायत 40 क 6
7.	परिवादी एवं गोपाल कुकरेजा के मध्य का हस्तलिखित हिसाब एवं परिवादी के नाम से जारी किए गए धरोहर स्वरूप 8 चैक	26.09.2013	43 क 1 लगायत 43 क 5
8.	कस्बा इंदौर तहसील जुनी इंदौर जिला इंदौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 501/1, 501/3 एवं 502/4 रकबा 1.630 हेक्टेयर जो 76 नवलखा, इंदौर में से 9888 वर्गफिट का गोपाल कुकरेजा / समीर कुकरेजा एवं ऋषि पुरवार के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र ।	23.12.2013	41 क 1 लगायत 41 क 4

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

9.	9 प्रकरण क्रमांक RCS-32/A/2014 में पारित निर्णय एवं जयपत्र दिनांक 11.04.2014, जो 76 नवलखा इंदौर की भूमि एरिया 9888 वर्गफिट से संबंधित है ऋषि पुरवार के नाम पर न्यायालय द्वारा पारित कीगई है एवं वाद पत्र ।	14.08.2014	42 क 1 लगायत 42 क 18
10.	प्रकरण क्रमांक MJC-590/2019 जो वर्तमान में माननीय न्यायालय 16 वे अपर जिला न्यायाधीश इंदौर में लंबित है। जिसका आवेदन पत्र एवं आदेश पत्रिका संलग्न है।	27.07.2019-24.05.2024	-----
11.	ऋषि पुरवार एवं समीर कुकरेजा के मध्य कस्बा इंदौर की भूमि खसरा क्रमांक 501/1, 501/3 एवं 502/4 रकबा 1.630 हेक्टेयर, जो 76 नवलखा, इंदौर के नाम से जानी जाती है। जिसका दोनों पक्षों के मध्य निष्पादन अनुबंध-पत्र ।	01.04.2018	44 क 1 लगायत 44 क 11
12.	गोपाल कुकरेजा, समीर कुकरेजा एवं विनोद पुरवार के मध्य कस्बा इंदौर की भूमि खसरा क्रमांक 501/1, 501/3 एवं 502/4 रकबा 1.630 हेक्टेयर, जो 76 नवलखा, इंदौर के नाम से जानी जाती है। जिसका दोनों पक्षों के मध्य निष्पादन अनुबंध-पत्र।	01.10.2019	45 क 1 लगायत 45 क 10
13.	गोपाल कुकरेजा के मेडिकल दस्तावेज रिपोर्ट्स आदि ।	2020-2026	46 क 1 लगायत 46 क 11

<u>बयान अभियुक्त अंतर्गत धारा-313 दं0 प्र 0 सं0</u>

8- परिवादी का साक्ष्य पूर्ण होने पर अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 द 0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया। जिसमें मेरे द्वारा परिवादी से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है। परिवादी के साथ संयुक्त रूप से व्यवसाय किया गया जिसके हिसाब किताब के पश्चात एक सम्पत्ति प्रदान की गई, उक्त वर्णित चैक धरोहर के रूप में दिया गया था जिनका अनुबंध में उल्लेख है तथा परिवादी की गलत मंशा के चलते अधिक और अवैध राशि की मांग करने एवं झूठा

फंसाने की मंषा से मुकदमा चलाये जाने का कथन किया है। तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कथन किया गया है।

परिवादी विनोद कुमार पुरवार की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस

9. महोदय, उक्त प्रकरण में परिवादी को अभियुक्त द्वारा चैक सं०-000145 दिनांकित 01.03.2020 मु०-1,25,00,000/-रू० (एक करोड पच्चीस लाख रू०) कोटेक महिन्द्रा बैंक साखा इंदौर की व अन्य चार चैके प्रदान की गई थी, जिनमें से दो मामलों परिवाद सं० 1178/21 व परिवाद सं०-1180/21 में माननीय न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी०/वोमेन रिलेटिड महोवा से अभियुक्त के विरूद्ध निर्णीत हो चुका है।

उक्त बैंक अभियुक्त ने परिवादी से लिये गये रू० की देनदारी वास्ते प्रदान की थी किन्तु जब परिवादी ने उक्त चैक को अपने खाता किशोरी डेवलपर्स स्थित महोबा खाता सं० 39211728114 भारतीय स्टेट बैंक शाखा महोबा के लिए दिनांक 28.05.2020 को लगाई जो दिनांक 29.05.2020 को अभियुक्त के बैक द्वारा इस आशय के साथ चैक वापस कर दी कि अभियुक्त के खाता में पर्याप्त धनराशि नही है। महोदय परिवादी ने अभियुक्त को चैक के अनादरित होने की सूचना जरिये फोन दी तो वह जानबूझ कर टाल मटोल करने लगा तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27.06.2020 को रजिस्टर्ड पोस्ट ए०डी० के माध्यम से अभियुक्त को चैक के अनादरित होने की सूचना दी तथा चैक में वर्णित धनराशि के भुगतान की मांग की किन्तु अभियुक्त ने नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रश्नगत चैक के जारी किये जाने की बात स्वीकार की किन्तु चैक में वर्णित रू० का भुगतान समय सीमा के अन्दर नहीं किया और न आज तक किया है।

महोदय, अभियुक्त द्वारा परिवादी का रू० अदा न करने पर परिवादी द्वारा मजबूर होकर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद तथा चार अन्य परिवाद जो अलग अलग चैकों से सम्बंधित है, दायर किये और माननीय न्यायालय द्वारा परिवाद को प्रथम दृष्टया सुनकर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 29.09.2020 को तलबी आदेश पारित किया था। महोदय अभियुक्त बहुत अधिक चालाक व कानूनबाज व्यक्ति है और वह माननीय न्यायालय द्वारा भेजे गये कई सम्मन सूचना की जानकारी के बाबजूद माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ तब माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू०/82 सीआर०पी०सी० का आदेश जारी करने पर दिनांक 13.10.2022 को उपस्थित हुआ था और माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके जमानत करायी थी। महोदय अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत करा लेने के बाद आज तक वह व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ और उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश का उसके द्वारा कतई अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त ने माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का बराबर दुरूपयोग किया है और परिवादी की अत्याधिक मूल्यवान धनराशि को हडप कर जाने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय की कार्यवाही को टालने का प्रयास करता रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा धारा-251 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही हेतु अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थित हेतु आदेशित किया था किन्तु वह जानबूझ कर आज

तक उपस्थित नही हुआ जिससे माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही की जाती रही। महोदय अभियुक्त व उसके पुत्रगण बहुत ही चतुर चालाक व कानूनबाज व्यक्ति है और उके द्वारा परिवादी के साथ धोखाधडी करने के उद्देश्य से उससे बहुमूल्य धनराशि यात कर ली गई थी और कई वर्षों तक परिवादी को गुमराह करने के बाद जब परिवादी ने कानूनी कार्यवाही करने की बात कही तब अभियुक्त ने परिवादी को पाच किता चैके यह कहते हुऐ प्रदान की थी। महोदय अभियुक्त ने परिवादी को झांसा देकर व गुमराह करते हुऐ दूसरों की भूमि को अपना बताकर परिवादी से रू० प्राप्त कर लिये थे और भूमि का बैनामा करने की बात कहकर कई वर्षों तक टालता रहा और जब परिवादी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि खसरा कमांक 501/1501/3 एवं 502/4 रकवा 1.630 हे० भूमि स्वयं अभियुक्त व उसके पुत्रगण की नहीं थी किन्त उक्त भूमि को अभियुक्त व उसके पुत्रगण ने स्वयं की बताकर परिवादी अत्यधिक मूल्यवान रू० प्राप्त कर लिये थे और कई वर्षों तक कानूनी प्रकिया में फंसाकर परिवादी के रू० का उपयोग करता रहा और लाभ कमाता रहा। उक्त भूमि बहुत ही दबंग व गुण्डा किस्म के व्यक्तियों की थी जिस पर अभियुक्त का कोई कब्जा नहीं था और न ही अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार अभियुक्त व उसका पुत्र आज तक उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर सके और न ही उक्त भूमि पर टीन रोड लगवाकर परिवादी को कब्जा दे सके। महोदय, अभियुक्त व उसके पुत्र द्वारा अनेको बार परिवादी को धोखा बार अनुबंध पत्र का निस्पादन न करा सका। महोदय अभियुक्त व उसके पुत्र एवं देने के उद्देश्य से सोध्य व्याज को जोड़कर अनुबंध पत्र तहरीर कराये किन्तु एक भी हो सका और अभियुक्त उसका पुत्र परिवादी को गुमराह करता रहा और परिवादी के पुत्र के मध्य हऐ अतिम अनुबंध पत्र की शर्तों का आज तक निस्पादन न की कीमती धनराशि धोखाधड़ी कर हडप जाने की फिराक में रहे है। परिवादी की ओर से उसके पुत्र द्वारा अपने साक्ष्य में दाखिल प्रकरण क्रमांक एम० जे०सी० 500/2019 माननीय न्यायालय के फर्दे आर्डर सीट से यह स्पष्ट होता है। उक्त चल रहे प्रकरण का निस्पादन जानबूझ कर नही किया जा रहा है क्योंकि उक्त प्रकरण में कथित भूमि जिसको अभियुक्त के पुत्र व अभियुक्त ने अपनी बताकर परिवादी से रू० प्राप्त कर लिये थे, वह भूमि बहुत ही दबंग व गुण्डा किस्म के कई व्यक्तियों के नाम पर दर्ज है और उक्त के द्वारा आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है जबकि अतिम अनुबंध की शर्त के अनुसार अभियुक्त ने मात्र 6 माह का समय बढवाया/मांगा था।महोदय, अंतिम अनुवध लेख दिनांक 01.10.2019 को अभियुक्त गोपाल कुकरेजा व परिवादी विनोद पुरवार के मध्य इस शर्त पर निष्पादित हुआ था कि आपसी सहमति से 6 माह तक अनुबंध को बढाया जावे और उक्त अनुबंध के अनुक्रम में अभियुक्त द्वारा पाच किता चैके इस वावत दी गई थी कि यदि अनुबंध का निस्पादन न हो सका तो उक्त चैको से अपना रू० प्राप्त कर लेना। अभियुक्त व उसके पुत्र ने आज तक किसी भी अनुबंध का निस्पादन नही किया और हर बार अनुबंध को तोडकर परिवादी का रू० हडप कर जाने की नियत से परिवादी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे गुमराह करते हुऐ मनमाफिक अनुबंध तहरीर कराकर उसका आर्थिक शोषण करते रहे है। जब अभियुक्त द्वारा अतिम अनुबंध का निस्पादन उसके द्वारा दी गई समय

सीमा अर्थात 01.10.2019 से 6 माह अर्थात दिनांक 01.03.2020 तक नही कराया गया तो परिवादी अभियुक्त से कई बार जरिये मोबाइल फोन व उससे का निस्पादन नहीं करा पायेगा और परिवादी का फोन रिसीव करना बंद कर दिया। व्यक्तिगत मिला और उसके निरुद्ध कार्यवाही की बात कही तो अभियुक्त द्वारा धमकियाँ दी जाने लगी और उसके द्वारा कहा गया कि वह अब कभी भी उक्त जमीन समाप्ति से पहले समय सीमा के अन्दर अपने बैंक में प्रस्तुत करनी पड़ी और अभियुक्त और मिलने से इकाने लगा तब मजबूर होकर परिवादी ने अभियुक्त के द्वारा दी गई चैको को जिसग अन्ना के अनुसार अभियुक्त के द्वारा चैक में अंकित की तिथि के खाता में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक अनादरित हो गई थी जिसका विचारण माननी न्यायालयसमक्ष चला।महोदय, अभियुक्त के ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष अपना बचाव/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित अभियुक्त के पुत्र समीर कुकरेजा ने अपने बयान/जिरह यह स्पष्ट किया है कि उसके पिता के द्वारा आज तक कोई भी बैनामा विनोद पुरवार के पक्ष में नहीं किया गया है। अभियुक्त व उसका पुत्र कई अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा धोखा दे चुके है और करोडों रू० की धोखाधडी करके अभियुक्त के द्वारा लोगो से ली गई धनराशि को अपने पुत्रो के खाता में ट्रासफर करके और उनके नाम प्रापर्टी खरीद चुका है तथा अपने नाम की समस्त प्रोपट्री को बेचकर बिदेश भाग जाने की फिराक में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संपत बनाम मंजूनाथ और श्रीपति सिंह बनाम स्टेट आफ झारखंड जैसे गागले में यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी ऋण या दायित्व के निर्वाहन कि लिए गारंटी के रूप में दिया गया चैक बाउंस होता है तो धारा-138 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। महोदय, उक्त आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुऐ परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि की दोगुनी धनराशि दिलाये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है, आदेश पारित करने की कृपा करें।

<u>अभियुक्त गोपाल कुकरेजा की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस</u>

10- अभियुक्त गोपाल कुकरेजा की ओर से लिखित बहस निम्नानुसार सादर प्रस्तुत हैः-

परिवाद पत्र के चरण 1 से 4 में व्यापारिक संबंधों और रिफाइनरी का कथन किया गया हैः-

(i) परिवाद पत्र के चरण 1 से 4 व्यापारिक संबंधो और रिफाइनरी का कथन किया गया हैः-

परिवादी ने परिवाद के चरण 1 से 4 में यह उल्लेख किया है कि वह दलहन-तिलहन का व्यापार करता है और अभियुक्त रियल एस्टेट का कार्य करता है, परिवादी का आरोप है कि अभियुक्त ने उसे इंदौर स्थित एक सोयाबीन रिफाइनरी फर्म में भागीदार बनाने का प्रस्ताव देकर मुबलिग रु० 97,50,000/- की मांग की थी, जिसे परिवादी ने अच्छे व्यवसाय की लालसा में अभियुक्त को नकद विभिन्न माध्यमों से प्रदान कर दिया।

परिवाद पत्र के चरण 5 में नवलखा इंदौर की भूमि के सुयदे का वर्णन किया गया है किः- परिवादी ने परिवाद के चरण 5 में यह कहानी गढ़ी है कि जब उसने रिफाइनरी की लिखा-पढ़ी हेतु दबाव या, तो अभियुक्त हीला-हवाली करने लगा और रिफाइनरी के काम में अड़चनें

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

बताकर साझेदारी से मुकर गया इसके विकल्प में अभियुक्त ने अपनी सर्वे क्रमांक 501/1, 501/3, 501/4 कस्बा इंदौर स्थित जिसका म्यूनिसिपल क्रमांक 76, नवलखा, इंदौर है, को बेचने का प्रस्ताव दिया और परिवादी से कुल मुबलिग रु० 2,29,99,800/- प्राप्त कर एक अनुबंध दिनांक 01.04.2018 को निष्पादित करवा लिया।

परिवाद पत्र चरण 7 में गारंटी धरोहर स्वरूप चैक सौंपने की बात कही गई है किः- परिवादी ने के चरण 7 में स्वयं यह अकाट्य रूप से स्वीकार किया है कि संभ्रांत व्यवसायियों की पंचायत दिनांक 01.10.2019 को एक नया अनुबंध निष्पादित हुआ था इसी अनुबंध की शर्तों के तहत ने कोटक महिन्द्रा बैंक के 5 चैक जिनमें प्रश्नगत चैक क्र० 000145 दिनांकित 01.03.2020 बलिग रु० 1,25,00,000/- (अक्षरी- एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) शामिल है।

(i) जमानत स्वरूप/ आश्वासन के रूप में सौंपे थे कि यदि अभियुक्त अनुबंध का क्रियान्वयन (रजिस्ट्री व कब्जा) नहीं कर पाया, तो परिवादी इन चेकों को बैंक में प्रस्तुत कर सकेगा।

(ii) यह कि परिवाद पत्र का चरण- स्वयं अभियुक्त के इस बचाय को पूर्णतः प्रमाणित करता है कि प्रभगत चैक किसी ''विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व (Legailly Enforceabile Debt) के भुगतान स्वरूप जारी नहीं किए गए थे, बल्कि दीवानी अनुबंध की शर्तों के निष्पादन हेतु केवल ''गारंटी/ सुरक्षा (Security Cheques) के रूप में रखे गए थे।

(iii) अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रेषित सूचना पत्र के जवाब में स्पह विवरण दिया गया हैः- अभियुक्त को परियादी के अधियला श्री अखिल कुमार पुरयार द्वारा प्रेषित विधिक सूचना दिनांक 26.06.2020 प्राप्त होने पर, अभियुक्त ने तुरंत अपने अधिवक्ता श्री आदित्यराज सिंह सोलंकी के माध्यम से दिनांक 09.07.2020 को एक अत्यंत सारगर्भित और विधिक रूप से सुदृढ़ प्रेषित किया था। इस जवाब के मुख्य विधिक बिंदु, जो परिवादी के आपराधिक इरादों को बेनकाब करते है जो निम्नानुसार हैंः-

(1) अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रेषित जवाब के चरण 2 कथित मुबलिग रु० 97,50,000/- के भुगतान का खंडन जवाब के चरण में परिवादी को कड़ी चुनौती दी गई थी कि यह कथित मुबलि रु० 97,50,000/-के नकद लेनदेन से संबंधित अपने दस्तावेज, बही-खाते और आयकर रिटर्न तत्काल अभियुक्त को उपलब्ध कराए परंतु परिवादी पूरे मुकदमें के दौरान ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश करने में पूर्णतः विफल रहा है।

(2) अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रेषित जवाब के चरण 3 में इंदौर दीवानी न्यायालय की डिक्रीः जवाब के चरण-3 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि नवलखा, इंदौर स्थित भूमि (रकबा 7,420 वर्गफीट) को क्रय करने हेतु परिवादी की कम्पनी किशोरी रियल इन्फ्रा प्रा०लि०तर्फे डायरेक्टर ऋषि पुरवार(परिवादी के पुत्र) और अभियुक्त के मध्य दिनांक 23.12.2013 को अनुबंध हुआ था, परिवादी द्वारा दबाव बनाने पर, परिवादी ने स्वयं माननीय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश महोदय, इंदौर के समक्ष व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 32 ए/ 2014 अनुबंध की विविक पूर्णि हेतु वाद प्रस्तुत किया था। उक दीवानी प्रकरण में दोनों पक्षों

के मध्य राजीनामा होने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2014 को परिवादी के पक्ष में सहमति से निर्णय एवं जयपत्र (Consent Decree) पारित किया जा चुका है। जिससे उपरोक्त वर्णित भूमि परिवादी को पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है।

(3) अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रेषित जवाब के चरण 3 व 4 अनुबंध का परिपालन पूर्ण होना एवं परिवादी का विलंब अभियुक्त द्वारा प्रेषित जवाब में स्पष्ट किया गया कि दीवानी न्यायालय से जयपत्र (क्मबतमम) पारित होने के बाद, अभियुक्त की ओर से विधिक दायित्व पूर्ण हो चुका था। निर्णय अनुसार एक माह के भीतर रजिस्ट्री कराने की जिम्मेदारी स्वयं परिवादी की थी, जिसके लिए परिवादी स्वतंत्र था। अभियुक्त हमेशा रजिस्ट्री हेतु तत्पर था, परंतु परिवादी स्वयं अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण टालमटोल करता रहा है जिसका भार आरोपी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, आरोपी द्वारा अपना कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(4) अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रेषित जवाब के चरण 3, व 6 में वैधानिक ऋण का पूर्ण अभाव एवं कपटपूर्ण मंशा जवाब के चरण-3, 4 एवं 6 में यह विशिष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि दीवानी डिक्री पारित होने के बाद अभियुक्त का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व शेष नहीं था। परिवादी के अत्यधिक अनुचित दबाव और उसे मात्र ''विश्वास दिलाने'' के उद्देश्य से सुरक्षा बतौर **(Security)** चैक सौंपे गए थे, परिवादी को इन चेकों को बैंक में लगाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, और ऐसा करना परिवादी द्वारा किया गया एक धोखाधड़ी पूर्ण एवं आपराधिक कृत्य है। आरोपी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई विधिक ऋण परिवादी को देय नहीं था।

परिवादी विनोद कुमार पुरवार (पी0 डब्लू-1) के प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्तियाँः परिवादी विनोद कुमार पुरवार ने न्यायालय के समक्ष अपनी जिरह के दौरान जो महत्वपूर्ण विधिक तथ्य सत्य स्वीकार किए हैं, वे अभियुक्त के निर्दोष होने का अकाट्य प्रमाण हैंः-

(i) स्वीकारोक्ति चैक केवल ''गारंटी के रूप में दिए जाने की पुष्टि (पी0 डब्लू-1) परिवादी के प्रतिपरीक्षणः परिवादी ने दिनांक 04.11.2025 को अपनी जिरह (पृष्ठ-2) में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है-

''ये चेके मुझे एग्रीमेंट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री एवं कब्जा की गारंटी के एवज में दी गयी थी न देने पर चैक का पेमेन्ट लेना था, जो चेके दी गयी है व इसके पूर्व में भी विपक्षी द्वारा चेके दी गयी है यह एग्रीमेंट के तौर पर दी गयी थी, यह एग्रीमेंट रिन्यू होता रहता है।''

इस कथन से परिवाद पत्र की यह कहानी पूरी तरह कपटपूर्ण हो जाती है कि चैक किसी वर्तमान विधिक ऋण के भुगतान हेतु दिए गए थे। यह सिद्ध हो गया कि चैक मात्र एक अनुबंधात्मक गारंटी थे जो किसी भी विधिक ऋण के भुगतान के एवज में जारी नहीं किए गए थे।

(ii) स्वीकारोक्ति जमीन की डिक्री अपने पक्ष में करा लेने की बात (पी0 डब्लू-1) परिवादी के प्रतिपरीक्षण परिवादी ने अपनी जिरह में स्पष्ट माना हैः-

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

''चैक के एवज में गोपाल कुकरेजा के बेटे द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा विनोद पुरवार के बेटे ऋषि पुरवार को नवलखा में जमीन सोलहवे अपर जिला न्यायाधीश इंदौर द्वारा डिक्री करा दी गयी है और डिक्री के बाद ही विपक्षी द्वारा चैक दी गयी है।''

आगे परिवादी ने अपनी जिरह में पुनः स्वीकार किया है किः-

''यह कहना सही है कि यह जमीन की डिक्री मेरे बेटे के नाम करा ली है परन्तु कब्जा नहीं मिला है।''

जब परिवादी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि प्रश्नगत चेकों से संबंधित नवलखा, इंदौर की भूमि की डिक्री वह माननीय दीवानी न्यायालय इंदौर से अपने पक्ष में करा चुका है, तो वह उसी भूमि के प्रतिफल के रूप में करोड़ों रुपयों के चैक बाउंस का केस किस आधार पर लगा सकता है, यह ''दोहरा लाभ प्राप्त करने का एक अत्यंत दूषित और विधिक रूप से प्रतिबंधित प्रयास है।

(iii) स्वीकारोक्ति- अनुबंध से अधिक भूमि प्राप्त कर लेना (समायोजन का अभाव) (पी0 डब्लू-1) परिवादी के प्रतिपरीक्षण दिनांक 15.10.2025 की जिरह (पृष्ठ-2) में यह सच स्वीकार किया है किः-

''उक्त अनुबंध देखकर बताया कि न्यायालय द्वारा 9888 वर्गफिट भूमि की डिक्री पारित की गयी है जो अनुबंध से 2460 ज्यादा है।''

यह कि परिवादी एवं आरोपी के मध्य मूल अनुबंध केवल 7,420 वर्गफीट का था, जबकि परिवादी ने चतुराई से दीवानी न्यायालय से 9,888 वर्गफीट भूमि की डिक्री करा ली। इस प्रकार परिवादी ने अभियुक्त की 2,460 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर ली, जिसके प्रतिफल का भुगतान परिवादी ने अभियुक्त को आज तक नहीं किया है अतः विधिक रूप से परिवादी स्वयं अभियुक्त का है, न कि अभियुक्त परिवादी का । यहाँ परिवादी द्वारा न्यायालय के माध्यम से आरोपी से दोहरे लाभ न अपितु उससे भी अधिक लाभ अर्जित करने के दुराशय से न्यायालीन कार्यवाही का अपने लाभ के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है/ किया गया है।

(iv) स्वीकारोक्ति - आरोपी कि रिफाइनरी की मशीनरी पर परिवादी का अवैध कब्ज परिवादी ने जिरह दिनांक 04.11.2025, पृष्ठ-2 में स्वीकार किया है किः-

''जो रिफायनरी की मशीन आज तक मेरे पास है। वो मशीने लाखों की कीमत की नही है कबाड़ है।''

परिवादी यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त की सोयाबीन रिफाइनरी प्लांट की मूल्यवान मशीनरी आज भी महोबा में परिवादी के ही कब्जे में है। मशीनरी अपने पास रखना और फिर भी मशीनरी की कीमत या मूल राशि मुबलिग रु० 97,50,000/- के असल/मूल हिसाब के आधार किए गए अनुबंध दिनांक 01.10.2019 के तहत धरोहर के रूप में दिये गए चैक क्रमांक 000145 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रु० 1,25,00,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000146 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रु० 1,25,00,000/- (एक करोड पच्चीस लाख रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000147

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रू 1,61,30,310/-- (एक करोड़ एकसठ लाख तीस हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000148 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रु० 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000149 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रु० 34,18,240/- (चौतीस लाख अठार हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र) चेकों की कुल सम्मलित राशि रू० 4,80,48,550/- (चार करोड अस्सी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पचास रुपये मात्र) के चौक बाउंस का मुकदमा चलाना परिवाद के कपटपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। महोबा में जो मशीनरी है उसका मूल्य तत्कालीन समय के हिसाब से जोड़ा जाना चाहिए जबकि परिवादी ने अपनी चतुराई से उक्त मशीनरी को कबाड़ बताकर उसकी राशि 1,00,00,000/- (अक्षरी राशि एक करोड़ मात्र) का भुगतान आरोपी को करने से बचने हेतु प्रयास किया गया है जबकि मशीनरी की राशि का विधिक ऋण परिवादी द्वारा आरोपी को भुगतान किया जाना शेष निकलता है।

(v) बचाव साक्ष्यः- (डी0 डब्लू-1- समीर कुकरेजा) का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण अभियुक्त की ओर से उनके पुत्र एवं मुख्तारआम श्री समीर कुकरेजा (डी0 डब्लू-1) ने अपने शपथ पत्र एवं बयानों में परिवादी के प्रकरण को पूर्णतः असत्य साबित किया हैः-

अभियुक्त की गंभीर बीमारी एवं लकवा (Brain Stroke) रू अभियुक्त गोपाल कुकरेजा लगभग 68 वर्ष के वृद्ध होकर, हृदय रोगी एवं गंभीर रूप से लकवाग्रस्त (Paralyzed) व्यक्ति हैं, जो चलने-फिरने तथा बोलने में भी पूर्णतः असमर्थ हैं। दिनांक 02.05.2020 को उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। परिवादी ने अभियुक्त की इसी मरणासन्न और गंभीर अस्वस्थता का नाजायज फायदा उठाया और द्वेषपूर्ण मंशा से लॉकडाउन के ठीक बाद मई 2020 में चैक बैंक में लगा दिए, ताकि अभियुक्त अपना विधिक बचाव न कर सके। जबकि परिवादी के पास धरोहर स्वरूप रखे गए पाँच चौकों के बदले परिवादी अपने पक्ष में माननीय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश महोदय, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 32 ए/2014 दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने आधार पर दिनांक 11.08.2014 में ही नवलखा कि भूमि रकबा 9888 वर्गफिट का निर्णय एवं डिक्री अपने नाम से करा चुका है।

उक्त माननीय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश महोदय, इंदौर के दीवानी प्रकरण क्रमांक 32 ए/2014 में त्रुटि सुधार प्रकरण (MJC-590/2019) का लंबित होनाः इन्दौर दीवानी न्यायालय द्वारा उक्त माननीय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश महोदय, इंदौर के दीवानी प्रकरण क्रमांक 320/2014 में पारित डिक्री के शीर्षक में एक टंकण त्रुटि (मोहम्मद नजीर का नाम छूट जाना) हो गई थी, जिसे सुधारने हेतु परिवादी के पुत्र ऋषि पुरवार ने स्वयं धारा 152 सी०पी०सी० के तहत विविध दीवानी प्रकरण क्रमांक 590/2019, माननीय 25 वें अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। जब तक यह दीवानी त्रुटि सुधार का मामला लंबित है और परिवादी ने स्वयं निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है, तब तक अभियुक्त को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और धरोहर के रूप में रखे गए चौकों का उपयोग नहीं किया जा सकता था।

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

इस प्रकार परिवादी द्वारा स्वयं अपना कार्य पूर्ण नहीं किया और आरोपी के चौकों को बैंक में प्रस्तुत कर प्रकरण प्रस्तुत करना अपने आप में आरोपी के साथ धोखाधड़ी की गई है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act) की धारा 70 और विधिक सिद्धांतों के तहत ''दोहरा लाभ (Double Benefit) प्राप्त करना कानूनन वर्जित है। यदि कोई पक्षकार दीवानी न्यायालय (Civil Court) से विशिष्ट अनुतोष (pecific Relief) के तहत की डिक्री प्राप्त कर लेता है, तो वह उसी सौदे के एवज में दी गई सुरक्षा राशि या चैक को भुनाकर राशि भी वसूल नहीं कर सकता। ऐसा करना विधिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग (Abuse of Process of Law) है। परिवादी एक तरफ इन्दौर न्यायालय के दीवानी प्रकरण क्रमांक 32 ए/2014 में प डिक्री दिनांक 11.08.2014 एवं (त्रुटि सुधार प्रकरण -590/2019) के माध्यम से अनुबंधित एरिया 7,420 वर्गफिट के स्थान पर एरिया 9,888 वर्गफीट भूमि का स्वामी बन गया है और दूसरी तरफ न्यायालय में धारा 138 का प्रकरण लगाकर आरोपी/अभियुक्त से अनुबंध दिनांक 01.10.2019 तहत धरोहर के रूप में दिये गए चैक क्रमांक 000145 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग स 1,25,00,000/- (एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000146 दिनांकित 01.03.202 वास्ते राशि मुबलिग रु० 1,25,00,000/-(एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र)चैक क्रमांक 000147-दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रु० 1,61,30,310/- (एक करोड़ एकसठ लाख तीन हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000148 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राशि मुबलिग रूम 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपये मात्र) चैक क्रमांक 000149 दिनांकित 01.03.2020 वास्ते राडि मुबलिग रु० 34,18,240/- (चौतीस लाख अठारह हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र) चेकों की कुल सम्मलित राशि रु० 4,80,48,550/- (चार करोड़ अस्सी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ पचास रुपये मात्र) है, जिसे परिवादी ने अनुबंध दिनांक 01.10.2019 के तहत जमानत धरोहर स्वरूप प्राप्त होना स्वीकार किया है। इस प्रकार एक ओर परिवादी करोड़ रुपये की जमीन एवं चौक के माध्यम से करोड़ों रूपये की राशि भी हड़पना चाहता है। इसकी विधिक रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अतिरिक्त कथन-परिवादी स्वयं स्वीकार करता है कि यह चैक केवल जमीन की रजिस्ट्री की ''गारंटी/धरोहर स्वरूप'' दिए गए थे। परिवादी इसी सौदे की नवलखा, इंदौर स्थित भूमि की माननीय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश महोदय, इंदौर के दीवानी प्रकरण क्रमांक 320 ए/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.08.2014 के माध्यम से भूमि प्राप्त कर चुका है। उक्त डिक्री के शीर्षक में एक टंकण त्रुटि (मोहम्मद नजीर का नाम छूट जाना) हो गई थी, जिसे सुधारने हेतु परिवादी के पुत्र ऋषि पुरवार ने स्वयं धारा 152 सी०पी०सी० के तहत विविध दीवानी प्रकरण क्रमांक 590/2019, माननीय 25 वें अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर के समक्ष त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। परिवादी अनुबंधित भूमि एरिया 7,420 वर्गफिट के स्थान पर एरिया 9,888 वर्गफीट भूमि पूर्व में ही डिक्री प्राप्त कर चुका है। जो अनुबंध से 2,460 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि अपने पक्ष में डिक्री कराई है, उक्त अतिरिक्त भूमि का प्रतिफल राशि का भुगतान

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

परिवादी द्वारा अभियुक्त को किया जाना है जो आज दिनांक तक अभियुक्त को नहीं किया गया है।

परिवादी द्वारा एक ओर पूर्व में ही वर्ष 2014 में अनुबंध कर अभियुक्त से भूमि कि डिक्री अपने नाम से करा ली और दूसरी ओर उसी संव्यवहार से संबंधित प्राप्त धरोहर/गारंटी/आश्वासन बतौर प्राप्त चौकों को बैंक में प्रस्तुत कर 138 एन.आई. एक्ट की कार्यवाही करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट उपरोक्त वर्णित **मैसर्स गिमपेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल, (2021) 11 S.C.R.432 न्याय दृष्टांत** अवलोकनीय है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतोईवादित किया है कि ''अतः, कोई भी शिकायतकर्ता एक ही अंतर्निहित संव्यवहार (underlying transaction) के लिए दो समानांतर अभियोजन (Parallel Prosecutions) नहीं चला सकता है। एक बार जब दोनों पक्षों द्वारा समझौता करार (settlement agreement) कर लिया जाता है, तो मूल शिकायत की कार्यवाहियों को जारी नहीं रखा जा सकता और शिकायतकर्ता को समझौते विलेख (Settlement Deed) की शर्तों के तहत एक नया वाद-हेतुक (fresh cause of action) उत्पन्न होता है। एक बार जब दिनांक 12 मार्च 2013 के समझौता विलेख पर सहमति बन गई थी, तो मूल शिकायत को रद्द (quashed) किया जाना चाहिए और पक्षकारों को समझौता करार के तहत कानून में उपलब्ध उपचारों (remedies) के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।''

अभियुक्त की रिफाइनरी की कीमत तत्कालीन समय में राशि रूपये यह कि अभियुक्त की रिफाइनरी की कीमत तत्कालीन समय में राशि रूपये राशि 1,00,00,000/- (अक्षरी राशि एक करोड़ मात्र) थी जिसे परिवादी द्वारा अपनी महोबा स्थित फैक्ट्री में स्थापित की गई है। उसका भुगतान मय ब्याज परिवादी द्वारा अभियुक्त को मशीनरी महोबा स्थांतरित करने के दिनांक से आज दिनांक तक अदा करना शेष है जो परिवादी द्वारा अभियुक्त को किया जाना है एवं अनुबंध अनुसार नवलखा स्थित भूमि का परिवादी से आरोपी का अनुबंध केवल 7,420 वर्गफीट का था, जबकि परिवादी ने चतुराई से दीवानी न्यायालय से 9,888 वर्गफीट भूमि की डिक्री अपने नाम करा ली। इस प्रकार परिवादी ने अभियुक्त की 2,460 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि प्राप्त कर ली जिसका भुगतान वर्तमान दर से एवं उसका ब्याज डिक्री दिनांक से आज दिनांक तक का या उक्त भूमि और उसके बदले में कंपनसेशन राशि का भुगतान व उक्त भूमि परिवादी द्वारा आभियुक्त को लौटना एवं भुगतान करना भी शेष है। जिसे परिवादी द्वारा अपनी महोबा स्थित फैक्ट्री में स्थापित की गई है। उसका भुगतान मय ब्याज परिवादी द्वारा अभियुक्त को मशीनरी महोबा स्थांतरित करने के दिनांक से आज दिनांक तक अदा करना शेष है एवं नवलखा कि 2,460 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि जो परिवादी ने अपने पक्ष में अपने बेटे के नाम पर अधिक कि नयायलीन डिक्री प्राप्त कर ली है उक्त भूमि को भी परिवादी द्वारा अभियुक्त को वापिस किया जाना है। उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त श्री गोपाल कुकरेजा के ऊपर परिवादी का कोई भी विधिक ऋण या दायित्व (Legally Enforceable Debt) रत्ती भर भी शेष नहीं रहता है। परिवादी द्वारा गंभीर रूप से

लकवाग्रस्त वृद्ध अभियुक्त की बीमारी का अनुचित लाभ उठाकर, दीवानी डिक्री होने के बावजूद दोहरा वित्तीय लाभ कमाने के कुत्सित उद्देश्य से यह झूठा आपराधिक मुकदमा दायर किया गया है एवं मैसर्स किशोरी डेवलपर्स एलएलपी एवं प्राइवेट लिमिटेड दोनों ही विनोद पुरवार एवं उनके पुत्र ऋषि पुरवार के स्वामित्व एवं नियंत्रण की कंपनियाँ है।''उक्त के संबंध में परिवादी द्वारा किया गया कथन पूर्ण रूप से असत्य एवं निराधार है कि उक्त एक कंपनी उसकी नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण निराधार होकर निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रार्थना- अतः न्यायहित में परिवादी मेसर्स किशोरी डेवलपर्स का उक्त असत्य एवं आधारहीन परिवाद निरस्त फरमाया जावे, एवं गंभीर रूप से बीमार अभियुक्त गोपाल कुकरेजा को ससम्मान दोषमुक्त (।बुनपज) करने की असीम कृपा की जावे। श्रीमान की बड़ी महान कृपा होगी। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा परिवाद बेबुनियाद एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है एवं अभियुक्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-138 एन0 आई0 एक्ट को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

निर्धारण के बिन्दुः-

11. वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्न होते है।

(i) क्या शिकायतकर्ता द्वारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम-1881 की धारा-139 सहपठित धारा-118 ए के तहत दी गई उपधारणा को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है।

(ii) यदि हां, तो क्या अभियुक्त द्वारा वैधानिक उपधारणा का खण्डन करने के लिए सफलता पूर्वक एक संभावित बचाव प्रस्तुत किया गया है।

साक्ष्य का विश्लेषण व निष्कर्ष

12- न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

13. धारा-138 एन0 आई0 एक्ट के अंतर्गत लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को सिद्व करना आवश्यक होता हैः-

(i) क्या अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चैक संख्या-000148 परिवादी मु०-35,00,000/-रू0 के विधिक प्रर्वतनीय ऋण या दायित्व के आंषिक अथवा पूर्णतः उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किये गये थे?

(ii) क्या परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक को उसकी वैधता की अवधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया था?

(iii) क्या प्रश्नगत चैक को बैंक द्वारा अनादरित किया गया था?

(iv) क्या परिवादी द्वारा अनादरण के उपरांत अनादरण की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर अभियुक्ता का विधिक नोटिस जारी किया गया था एवं नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर अभियुक्ता चैक में वर्णित राशि परिवादी को अदा करने में असफल रहा था?

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

(v) क्या पन्द्रह दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत एक माह के अन्तराल में परिवादी द्वारा न्यायालय के परिवाद दायर किया गया?

14- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 11 एस 0 सी0 सी0 441** में कथन किया गया है कि:-

" it is obligatory on the court to raise the presumption(u/s 139) in every case where the factual basis for raising of the presumption has been established."

15- न्यायालय के मत में प्रस्तुत परिवाद में तथ्यों के आधार पर, जहां परिवादी द्वारा चैक के अनादरण के सम्बन्ध में समस्त विधिक दस्तावेज दाखिल किये गये हों, वहां धारा-139 एन 0 आई 0 एक्ट के अंतर्गत वैधानिक अवधारणा प्रकट होती है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक संख्या-000148 मुब०-35,00,000/-रू0 के विधिक प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के आंषिक अथवा पूर्णतः उन्मोचन हेतु प्रस्तुत किये गये थे।

16- परन्तु उपरोक्त प्रकट अवधारणा खण्डनीय है, जिसका दायित्व बचाव पक्ष के ऊपर है कि वह उपरोक्त वर्णित अवधारणा अंतर्गत धारा-139 एन 0 आई 0 एक्ट का खण्डन कर सकता है।

17- जहां तक प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में धारा-138 एन 0 आई 0 एक्ट के अंतर्गत चैक विधिक ऋण या दायित्व के आंषिक अथवा पूर्णतः उन्मोचन को साबित करने का है। इस सम्बन्ध में धारा-139 एन 0 आई 0 एक्ट उल्लेखनीय है जिसके अनुसान यह उपधारित किया जायेगा कि जब तक प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाये तब तक यह माना जायेगा कि चैक धारा-138 एन 0 आई 0 एक्ट अंतर्गत ऋण या दायित्व के अंषतः अथवा पूर्णतः उन्मोचन के बावत् जारी किया गया है। इस प्रकार धारा-139 एन 0 आई 0 एक्ट के अंतर्गत उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है। ऐसी स्थिति में उक्त उपधारणा का खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है।

18- प्रस्तुत परिवाद में अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बचाव लिया है कि-

(i) अभियुक्त द्वारा विवादित चैक संख्या-000148 दिनांकित 01.03.2020 मु०-35,00,000/-रू० को इस आशय से दिया गया था कि यदि अभियुक्त विक्रय अनुबंध लेख दिनांकित 01.10.2019 को यदि निष्पादित नहीं करेगा तो परिवादी उक्त चैक को इस्तेमाल कर सकेगा। अतः उक्त चैक को विक्रय अनुबंध लेख के सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था।

(ii) चुकि परिवादी द्वारा उक्त विक्रय अनुबंध लेख दिनांकित 01.10.2019 के निष्पादन हेतु सौहलवे अपर जिला न्यायाधीश इंदौर में व्यवहारवाद क्रम 32 ए/2014 दायर किया गया था। जिस पर अभियुक्त द्वारा राजीनामा किया गया व परिवादी द्वारा उक्त न्यायालय से विक्रय अनुबंध लेख में उल्लेखित संपत्ति के निष्पादन हेतु डिक्री ली जा चुकी है। अतः अभियुक्त द्वारा विक्रय अनुबंध लेख की शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है। इस स्थिति में परिवादी सिक्योरिटी में दिये गये चैकों का वांछित लाभ नहीं ले सकता है।

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

19. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा लिये गये प्रथम बचाव पर विचार करें तो परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि परिवादी ने अभियुक्त को चैक संख्या 0000148 दिनांक 01.03.2020, राशि ₹ 35,00,000/- महिंद्रा बैंक, शाखा नौगाँव, तथा अन्य चार चैक प्रदान किए थे, उक्त धनराशि के भुगतान हेतु परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य अंतिम अनुबंध-पत्र दिनांक 01.10.2019 को अभियुक्त गोपाल कुकरेजा एवं परिवादी विनोद पुरवार के मध्य इस शर्त पर निष्पादित हुआ था कि आपसी सहमति से छह माह तक अनुबंध को बढ़ाया जाएगा तथा उक्त अनुबंध के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा पाँच चैक दिए गए थे, ताकि यदि अनुबंध का निष्पादन नहीं हो सके तो परिवादी उक्त चेकों के माध्यम से अपनी धनराशि प्राप्त कर सके। अभियुक्त एवं उसके पुत्र द्वारा आज तक किसी भी अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया तथा प्रत्येक बार अनुबंध का उल्लंघन कर परिवादी की धनराशि हड़पने की नीयत से परिवादी को झूठे आश्वासन देकर, उसका विश्वास प्राप्त कर, उसे गुमराह करते हुए अपनी मनमर्जी के अनुबंध निष्पादित कराकर उसका आर्थिक शोषण करते आ रहे हैं।

20. इसके विपरीत, अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त चैक संख्या-000148 दिनांक 01.03.2020, राशि मुबलिग ₹35,00,000/- तथा अन्य चेकें अनुबंध के संबंध में बतौर सिक्योरिटी प्रदान की गई थीं, ताकि यदि अनुबंध-पत्र दिनांक 01.10.2019 का क्रियान्वयन नहीं किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में परिवादी को यह अधिकार होगा कि वह उक्त चेकों में अंकित धनराशि को अपने खाते में प्राप्त कर सके। किंतु परिवादी द्वारा दबाव बनाए जाने पर अभियुक्त ने न्यायालय सोहलवे अपर जिला न्यायधीश, इंदौर के समक्ष व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 32-ए/2014,में अनुबंध की विशिष्ट पूर्ति हेतु प्रस्तुत वाद में राजीनामा किया। इसके पश्चात् उक्त परिवाद में परिवादी के हित में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गयी है। उक्त दीवानी प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2014 को परिवादी के पक्ष में सहमति से डिक्री एवं जजमेंट पारित किया जा चुका है, जिससे अनुबंध पत्र दिनांकित 01.10.2019 में वर्णित भूमि परिवादी को पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी है। उक्त निर्णय के अनुसार एक माह के भीतर रजिस्ट्री करने की जिम्मेदारी स्वयं परिवादी की थी। अभियुक्त हमेशा रजिस्ट्री के लिए तत्पर था, परंतु परिवादी अपनी स्वयं की आंतरिक समस्याओं को लेकर टालमटोल करता रहा, जिसका भार अभियुक्त पर नहीं डाला जा सकता है। अतः यह साबित होता है कि चैक केवल गारंटी के रूप में दिए गए थे। इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना ही उचित होगा।

21. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवादी द्वारा अपने वादपत्र में कथन किया गया है कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे। यह कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के साथ एक रिफाइनरी में साझेदारी की गई, किंतु जब उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, तो परिवादी द्वारा अपना लगाया हुआ पैसा वापस मांगा गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पैसे के बदले भूमि, सर्वे क्रमांक 501/1, 501/3, 502/4, कस्बा इंदौर, जिसका म्यूनिसिपल नंबर 76, नवलखा, इंदौर है, को विक्रय करने का प्रस्ताव दिया गया था। यह कि उक्त प्रस्ताव के संबंध में अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.10.2019 को उभय पक्षों के मध्य विक्रय-विलेख अनुबंध निष्पादित किया गया। उक्त विक्रय अनुबंध लेख पत्रावली में संलग्न है तथा उसके निष्पादन को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः व्यापारिक मतभेद के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य एक

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

विक्रय अनुबंध लेख तैयार किया गया, जिसे सुलहनामा कहा गया है। उक्त सुलहनामा की शर्तों को पढ़ा जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि विवादित चैक के संबंध में अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह सिक्योरिटी चैक के रूप में दिया गया था, जबकि परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा उक्त विक्रय अनुबंध लेख की शर्तों को पूरा नहीं किया गया तथा शर्तों के पूरा न होने की स्थिति में सिक्योरिटी चैक प्रभावी माने जाएंगे। अतः अभियुक्त द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित किया गया है। अतः इस स्तर पर उक्त विक्रय अनुबंध लेख की शर्तों को पढ़ा जाना एवं उसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

22. पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 27 क 1 लगायत 10 का अवलोकन किया गया इस अनुबंध पत्र की धारा-7 में यह कथन किया गया है कि

"प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के मध्य यह तय हुआ है कि सदर अनुबंध की दिनांक 01.09.2019 की समयावधि के अंदर अनुबंधित भूमि का टाइटल प्रथम पक्ष द्वारा स्पष्ट कराकर नहीं दिया जाता है, तो प्रथम पक्ष(अभियुक्त गोपाल कुकरेजा) द्वितीय पक्ष (परिवादी विनोद कुमार पुरवार) द्वारा अदा की गई धनराशि एवं उक्त राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ब्याज प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अदा किया जाएगा और यदि प्रथम पक्ष अनुबंध की दिनांक से तय दिनांक 01.09.2019 के अंदर पेशवर अदा की गई रकम और उस पर ब्याज वापस अदा नहीं करता है एवं यदि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को लिखी विक्रय प्रतिफल की राशि को वसूलने हेतु किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अदा की गई रकम और उस पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अदा करेगा, जो कि पूर्ववर्ती अनुबंध में दोनों पक्षों के मध्य तय हुआ था।

उक्त अनुबंध की धारा-10 में यह कथन है कि

प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को गारंटी/सिक्योरिटी के तौर पर रिटर्न चैक ब्याज दर 13 प्रतिशत वार्षिक सहित दिए गए हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा आज द्वितीय पक्ष को गारंटी के तौर पर ₹3,88,20,010/- का चैक मय ब्याज के दिनांक 01.09.2019 तक सुरक्षा के तौर पर दिए गए हैं।

उक्त अनुबंध-पत्र की धारा-12 में यह अभिव्यक्त है कि

उक्त संपत्ति के विक्रय पत्र के पंजीयन में आने वाले समस्त खर्च, जैसे मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं अन्य खर्च द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि द्वितीय पक्ष के हित में विक्रय पत्र का पंजीयन हो जाने पर किसी कारणवश प्रथम पक्ष के हित में वापस विक्रय पत्र का पंजीयन कराने की स्थिति में पूर्व में जो विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष के हित में पंजीबद्ध होगा, उसमें लगने वाला समस्त खर्च प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अदा किया जाएगा।

उभय पक्षों के मध्य उक्त भूमि के संबंध में अन्य अनुबंध भी निष्पादित हुए थे, जो कि उभय पक्षों ने स्वेच्छा से निरस्त कर लिये हैं। साथ ही पूर्व में प्रथम पक्ष द्वारा गारंटी के एवज में दिए गए चैक निरस्त माने जाएंगे। समस्त चैक निम्नानुसार हैं। उभय पक्षों के मध्य सदर अनुबंध लेख एकमात्र लेख के तौर पर प्रभावी रहेगा।

23. अभियुक्त द्वारा एक व्यवहार वाद क्रमांक 32-A/2014, जो कि न्यायालय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश, जिला इंदौर द्वारा दिनांक 11.08.2014 को निर्णीत किया गया है, जिसका शीर्षक किशोरी डेवलपर्स एलएलपी बनाम श्रीमती अनीसा आदि है, दाखिल किया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार वादी ऋषि पिता विनोद कुमार पुरवार द्वारा अनुबंध की विशिष्ट पूर्ति

एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत वाद था। उक्त वाद राजीनामा के आधार पर तय किया गया। उक्त राजीनामा के आधार पर अनुबंध-पत्र के तहत सर्वे क्रमांक 501/1, 501/3,502/4 भूमि क्षेत्रफल 9,888 वर्गफीट के संबंध में रजिस्ट्री का अधिकार दिया गया था। वाद में हुए राजीनामा के अनुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का पंजीकृत विक्रय-पत्र एक माह की समयावधि में निष्पादित कराएंगे। यदि प्रतिवादीगण उक्त अवधि में विक्रय-पत्र निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो वादी न्यायालय के माध्यम से वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय-पत्र निष्पादित कराने का अधिकारी होगा।

24. अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा विक्रय अनुबंध के अनुसार न्यायालय सोलहवें अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर, मध्य प्रदेश के समक्ष वाद दायर किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा राजीनामा कर वादग्रस्त भूमि का विक्रय-पत्र निष्पादित कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी। किंतु परिवादी उपरोक्त सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चैक का दुरुपयोग कर रहा है। वह उपरोक्त वाद क्रमांक 32-A/2014, जो कि अपर जिला न्यायाधीश, 16, इंदौर द्वारा निर्णीत किया गया है, के निष्पादन हेतु न तो कोई विक्रय-पत्र निष्पादित करा रहा है और न ही न्यायालय में कोई याचिका दाखिल कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में परिवादी उक्त डिक्री अथवा चैक, दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकता है। चूंकि परिवादी द्वारा डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त कर ली गई है, अतः उपरोक्त विवादित चैक मात्र सिक्योरिटी चैक रह जाते हैं तथा उनके आधार पर अभियुक्त की अब कोई विधिक देयता शेष नहीं रह जाती है। अभियुक्त द्वारा जो भी विधिक देयता थी, वह उपरोक्त वाद क्रमांक 32-A/2014 में हुए राजीनामे के आधार पर पारित सहमति डिक्री के अनुसार पूरी की जा चुकी है। अतः उक्त चैक के संबंध में अब अभियुक्त की कोई विधिक देयता शेष नहीं रह जाती है।

25. वर्तमान परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा अपने ऊपर स्थित वैधानिक उपधारणा को स्थानान्तरित करने में कामयाब रहा है, क्योंकि अभियुक्त के ऊपर जो साक्ष्य का भार है, वह संभावनाओं की प्रबलताओं पर है, न कि युक्ति युक्त संदेह से परे। अतः अभियुक्त अपने ऊपर लागू धारा 139 सहपठित धारा-118(ए) पराक्रम्य लिखित अधिनियम में दी गयी वैधानिक उपधारणा को स्थानान्तरित करने में कामयाब रहा है। अतः इस स्थिति में यह परिवादी का दायित्व है कि वह अपने वाद को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे, किंतु परिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त के विक्रय अनुबंध लेख दिनांकित 01.10.2019 के अतिरिक्त कोई पृथक विधिक दायित्व बनता है। परिवादी यह भी साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त विक्रय अनुबंध लेख दिनांकित 01.10.2019 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है।

चूँकि परिवादी द्वारा स्वयं विक्रय अनुबंध लेख के निष्पादन हेतु, संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु, वाद इंदौर में संस्थापित किया गया है तथा उसके द्वारा राजीनामा से डिक्री भी हासिल की जा चुकी है, अतः परिवादी यह नहीं कह सकता कि सिक्योरिटी चैक के संबंध में निर्धारित शर्तों का अभियुक्त द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त की विधिक देयता तभी उत्पन्न होगी, जब विक्रय अनुबंध लेख की शर्तों का अनुपालन अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया हो। जबकि वर्तमान मामले में अभियुक्त विक्रय अनुबंध लेख की शर्तों का अनुपालन करने के लिए सदैव तत्पर एवं इच्छुक है और रहा है।

अतः इस परिस्थिति में अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक सिक्योरिटी मात्र है, जिसके संबंध में आज दिनांक तक अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिक देयता उत्पन्न नहीं होती है।

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।

26. अतः उपरोक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य व्यपारिक संबंध रहे हैं किन्तु आपसी मतभेद के कारण परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य समझौता हुआ जिसके पश्चात अभियुक्त द्वारा परिवादी की देनदारी हेतु आपसी समझौते से विक्रय अनुबंध लेख दिनांकित 01.10.2019 को निष्पादित किया गया है जिसमें अनुबंध लेख की शर्तों का अनुपालन न करने पर अभियुक्त द्वारा बतौर सिक्योरिटी विवादित चैक दी गयी थी। परिवादी द्वारा उक्त विक्रय अनुबंध लेख में उल्लिखित भूमि पर न्यायालय सोहलवें अपर जिला न्यायधीश, इंदौर द्वारा वाद संख्या 32 ए/2014 पर अभियुक्त से राजीनामा कर डिक्री हासिल कर चुका है। अतः इस स्थिति में परिवादी अभियुक्त द्वारा दिये गये सिक्योरिटी चैकों का अनुचित लाभ नहीं ले सकता है। तदुसार अभियुक्त गोपाल कुकरेजा को धारा-138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत किये गये अपराध में दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त गोपाल कुकरेजा पुत्र श्री गोवर्धनदास कुकरेजा निवासी 6–नवरतनबाग समीप बी0 सी0 सी0 हाउस मनोरमागंज इंदौर जिला इंदौर म०प्र० को परिवाद संख्या–1179/2021 अंतर्गत धारा–138 एन०आई०एक्ट थाना कोतवाली महोबा, जनपद महोबा में के प्रकरण में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में दाखिल धारा–437A के बेलबाण्ड अपीलीय अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक 05.08.2026

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।
जे०ओ०कोड-UP4898

इस निर्णय में 30 पृष्ठ है एवं सभी पृष्ठ पर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक 05.08.2026

(सिद्धिनाथ सिंह सेंगर)
सिविल जज(जू0 डि0)/एफ 0 टी0 सी0
महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महोबा।
जे०ओ०कोड-UP4898